वार्षिक रिपोर्ट

एवं

वार्षिक लेखा

2020-21

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

कोर-IV बी, प्रथम तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

वैबसाइट: www.ncrpb.nic.in

विषय तालिका

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ सं
1	औचित्य	1
2	बोर्ड का गठन और सदस्यता	1
3	कार्य	2
4	शक्तियाँ	2
5	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संगठक क्षेत्र	3
6	काउंटर मैग्नेट क्षेत्र	4
7	योजना समिति	4
8	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना - 2021	5
9	सिन्हावलोकन का वर्ष - 2020-21	8-16
	9.1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 का कार्यान्वयन	8
	9.1.1 परिवहन क्षेत्र में प्रमुख पहल	8-12
	9.1.2 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 की समीक्षा	12
	9.1.3 एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना -2041 की तैयारी	12
	9.1.4 एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना -2021 के अंतर्गत उप-क्षेत्रीय योजनाओं की तैयारी	13
	9.1.5 एनसीआर में नए जोड़े गए जिलों के लिए उप-क्षेत्रीय योजनाओं की तैयारी	14
	9.1.6 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का परिसीमन	14
	9.1.7 एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना -2021 के कार्यान्वयन की निगरानी	15
	9.1.8 एनसीआर के लिए जिओ पोर्टल का विकास	15
	9.2) बोर्ड द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएँ	16-19
	9.3) वर्ष के दौरान ऋण संवितरण	19-23
	9.4) वित्तीय संसाधन	23-25
	9.4.1) बजटीय सहायता व आंतरिक तथा बाह्य बजटीय संसाधन	23
	9.4.2) संसाधन संग्रहण	24
	9.4.3) लेखों का लेखा परीक्षण	24
	9.4.4) लेखापरीक्षा टिप्पणी	25
	9.5) प्रशासन एवं सतर्कता	25-27
	9.5.1) प्रशासन	25
	9.5.2) रा.रा.क्षे.यो.बो. मे ई-ऑफिस का कार्यान्वयन	25

	9.5.3) रा.रा.क्षे.यो.बो. मे राजभाषा हिंदी का प्रचार	26
	9.5.4) सतर्कता	26
	9.5.5) सूचना का अधिकार (आरटीआई)	26
	9.5.6) संगठनात्मक संरचना	28-29
	अनुबंध-9.1.1.2/I : एनसीआर में अंतर्राज्यीय संपर्क सड़कें/लिंकेज	30
	अनुबंध-9.2.11/I : रा.रा.क्षे.यो.बो. की ऋण सहायता प्राप्त अवसंरचना परियोजनाओं की सूची (31 मार्च, 2021 तक)	31-45
	अनुबंध-9.4.4/I : लेखापरीक्षा टिप्पणी और विभागीय स्थिति का सारांश	46-48

1. औचित्य

निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ संसद के एक अधिनियम द्वारा वर्ष 1985 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का गठन किया गया था:-

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए एक योजना तैयार करना;
- उक्त योजना के कार्यान्वयन का समन्वय और निगरानी करना; तथा
- इस क्षेत्र में भू-उपयोगों के नियंत्रण के लिए सुसंगत नीतियां बनाना और बुनियादी सुविधा का विकास करना ताकि इस क्षेत्र के अव्यवस्थित विकास से बचा जा सके ।

2. बोर्ड का गठन

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं के-11019/3/2012-डीडीVI दिनांक 22.11.2017 के अनुसार, बोर्ड का वर्तमान गठन इस प्रकार है:

1.	केन्द्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आवासन एवं शहरी कार्य	अध्यक्ष
2.	मुख्यमंत्री, हरियाणा	सदस्य
3.	मुख्यमंत्री, राजस्थान	सदस्य
4.	मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश	सदस्य
5.	उप राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली	सदस्य
6.	मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली	सदस्य
7.	शहरी विकास मंत्री, राजस्थान सरकार	सदस्य
8.	शहरी विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
9.	अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड	सदस्य
10.	सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	सदस्य
11.	सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	सदस्य
12.	मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार	सदस्य
13.	मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार	सदस्य
14.	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
15.	मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली सरकार	सदस्य
16.	प्रधान सचिव, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हरियाणा सरकार	सदस्य
17.	सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	सदस्य सचिव

सहयोगित सदस्य:

1.	सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
2.	मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, भारत सरकार

3. कार्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 7 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के कार्य निम्नलिखित है:

(क) क्षेत्रीय योजना और प्रकार्य योजना तैयार करना;

(ख) भाग लेने वाले राज्यों मे से प्रत्येक द्वारा और संघ राज्यक्षेत्र द्वारा उपक्षेत्रीय योजना और परियोजना प्लान तैयार किए जाने की व्यवस्था करना;

(ग) भाग लेने वाले राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र के माध्यम से क्षेत्रीय योजना, प्रकार्य योजनाओं, उप-क्षेत्रीय योजनाओं और परियोजना प्लानों के प्रवर्तन और कार्यान्वयन का समन्वय करना;

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या उपक्षेत्रों में परियोजनाएँ बनाने, पूर्विकताएँ अवधारित करने और क्षेत्रीय योजना में उपदर्शित प्रक्रमों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास का समंजन करने की बाबत भाग लेने वाले राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र द्वारा उचित और व्यवस्थित कार्यक्रम सुनिश्चित करना;

(ङ) केन्द्रीय और राज्य योजना निधियों और राजस्व के अन्य स्रोतों के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चुनी गईं विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण की व्यवस्था करना और उनका पर्यवेक्षण करना।

4. शक्तियाँ

रा.रा.क्षे.यो.बो. अधिनियम, 1985 की धारा 8 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की शक्तियाँ निम्नलिखित है:

(क) प्रकार्य योजनाओं और उपक्षेत्रीय योजनाओं को तैयार करने, उनके प्रवर्तन और कार्यान्वयन की बाबत, भाग लेने वाले राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र से रिपोर्टें और जानकारी मंगाना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि, यथास्थिति, प्रकार्य योजना और उपक्षेत्रीय योजना की तैयारी, प्रवर्तन और कार्यान्वयन क्षेत्रीय योजना के अनुरूप है;

(ग) क्षेत्रीय योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रम उपदर्शित करना;

(घ) क्षेत्रीय योजना, प्रकार्य योजना, उपक्षेत्रीय योजना और परियोजना प्लान के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करना;

(ङ) व्यापक परियोजनाओं का चयन और अनुमोदन करना, पूर्विकता विकास की मांग करना और उन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ऐसी सहायता की व्यवस्था करना जो बोर्ड ठीक समझे;

(च) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर, किसी ऐसे नगर क्षेत्र का, जिसका उसकी अवस्थिति, जनसंख्या और विकास की संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्रीय योजना के उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से विकास किया जा सके, संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से, चयन करना;

(छ) समिति को ऐसे अन्य प्रकार्य सौंपना, जो वह इस अधिनियम के उपबंधो को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे।

5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संघटक क्षेत्र

5.1 जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की अनुसूची {धारा 2 (एफ)} में एवं तत्पश्चात, 14.03.1986 और 23.08.2004 (अलवर जिले के शेष हिस्से को शामिल करने के लिए) की अधिसूचनाओं में परिभाषित किया गया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लगभग 34,144 वर्ग कि.मी. का क्षेत्र शामिल है जो कि चार राज्यों अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्राधिकार में है। उपर्युक्त क्षेत्र के लिए तैयार क्षेत्रीय योजना-2021 को वर्ष 2005 में अधिसूचित किया गया था।

5.2 इसके पश्चात, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुछ नए क्षेत्रों/ज़िलो का सम्मिलन किया गया जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है:

हरियाणा राज्य के भिवानी और महेंद्रगढ़ ज़िले तथा राजस्थान का भरतपुर ज़िला	भारत सरकार की दिनांक 1.10.2013 की अधिसूचना के द्वारा
हरियाणा राज्य के जींद एवं करनाल ज़िले तथा उत्तर प्रदेश का मुज़फ्फरनगर ज़िला	भारत सरकार की दिनांक 24.11.2015 की अधिसूचना के द्वारा
उत्तर प्रदेश का शामली ज़िला	भारत सरकार की दिनांक 16.04.2018 की अधिसूचना के द्वारा

5.3 इन अधिसूचनाओं एवं अनुमोदनों के पश्चात, एनसीआर का क्षेत्र करीब 55,083 वर्ग किमी है जिसकी जनसंख्या लगभग 581.5 लाख (जनगणना 2011 के अनुसार) है। उपक्षेत्र-वार क्षेत्रफल का ब्यौरा निम्नलिखित है:

उप क्षेत्र	जिलों के नाम	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी. में)	जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या (लाख में)
हरियाणा	फरीदाबाद, गुरूग्राम, नुह (भूतपूर्व मेवात), रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल	25,327	164.3
उत्तर प्रदेश	मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, मुज़फ्फरनगर और शामली	14,826	187.1
राजस्थान	अलवर और भरतपुर	13,447	62.2
दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली	1,483	167.9
	कुल	**55,083**	**581.5**

6. काउंटर मैग्नेट क्षेत्र

6.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 8(एफ) के तहत बोर्ड को यह शक्ति प्राप्त है कि वह संबंधित राज्य के परामर्श से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर कोई भी क्षेत्र, उसके स्थान, जनसंख्या और विकास की संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए काउंटर-मैग्नेट क्षेत्र (सीएमए) के रूप में विकसित करने के लिए चुन सकता है ताकि क्षेत्रीय योजना के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। नौ काउंटर-मैग्नेट क्षेत्र है, जो इस प्रकार हैं:

(क) हरियाणा में हिसार
(ख) हरियाणा में अम्बाला
(ग) उत्तर प्रदेश में बरेली
(घ) उत्तर प्रदेश में कानपुर
(ङ) राजस्थान में कोटा
(च) राजस्थान में जयपुर
(छ) मध्य प्रदेश में ग्वालियर
(ज) पंजाब में पटियाला
(झ) उत्तराखंड में देहरादून

6.2 क्षेत्रीय योजना-2021 के अनुसार, काउंटर-मैग्नेट क्षेत्रों की परिकल्पना दो अलग परंतु परस्पर पूरक भूमिकाओं के लिए की गई थी, जिनका विवरण इस प्रकार है:-

क. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रवासी प्रवाह के अवरोधक के तौर पर, जिसमें तीव्रता से वृद्धि हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विकास आस पास के कम विकसित क्षेत्रों से प्रवासियों को आकर्षित करेगा; और
ख. क्षेत्रीय विकास केन्द्रों के रूप में जिनसे इन केन्द्रों की अपनी स्थापनाओं के कुछ समय बाद इस क्षेत्र में शहकरीकरण का संतुलित पैटर्न बन पाएगा ।

7. योजना समिति

7.1 गठन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम की धारा 4(1) और (2) के तहत एक योजना समिति के गठन का अधिदेश दिया गया है। बोर्ड के सदस्य सचिव इस योजना समिति के पदेन अध्यक्ष हैं। योजना समिति का गठन इस प्रकार हैं:

1	सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	अध्यक्ष
2	संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय (वर्तमान में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय) आवास एवं शहरी विकास के मामलों से संबंधित	सदस्य
3	प्रभारी सचिव, शहरी विकास, हरियाणा	सदस्य

4	प्रभारी सचिव, शहरी विकास, राजस्थान	सदस्य
5	प्रभारी सचिव, शहरी विकास, उत्तर प्रदेश	सदस्य
6	प्रभारी सचिव, शहरी विकास, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली	सदस्य
7	उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण	सदस्य
8	मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन	सदस्य
9	निदेशक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हरियाणा	सदस्य
10	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार	सदस्य
11	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य

7.2 सहयोगित सदस्य

1. वरिष्ठ सलाहकार (एच.यू.डी.), योजना आयोग (वर्तमान में नीति आयोग)
2. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, आवासन और शहरी विकास निगम
3. संयुक्त सचिव (यू.टी.), शहरी विकास मंत्रालय (वर्तमान में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय)
4. संयुक्त सचिव (आई.ए.), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार
5. मुख्य क्षेत्रीय नियोजक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

7.3 योजना समिति के कार्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 9 में यथा उल्लेखित अनुसार योजना समिति के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:

9 (1) समिति के कार्य:

(क) क्षेत्रीय योजना और प्रकार्य योजनाओं को तैयार करने में और उनके समन्वित कार्यान्वयन में; और

(ख) उपक्षेत्रीय योजनाओं और सभी परियोजना प्लानों की यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे क्षेत्रीय योजना के अनुरूप हैं जांच करने मे बोर्ड की सहायता करना होगा।

(2) समिति किसी उपक्षेत्रीय योजना या किसी परियोजना प्लान की संशोधित या उपांतरित करने के लिए बोर्ड से ऐसी सिफारिश कर सकेगी जो वह आवश्यक समझे।

(3) समिति ऐसे अन्य कार्यों को अंजाम देगी जो बोर्ड द्वारा उसे सौंपे जाएं।

8. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021

8.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने वर्ष 2021 तक के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर क्षेत्रीय योजना तैयार की जिसे 17.09.2005 को अधिसूचित किया गया ।

8.2 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हेतु क्षेत्रीय योजना-2021 में अच्छी कृषि भूमि को बचाने और परिरक्षित करने, संवेदनशील क्षेत्रों को पर्यावरणिक रूप से परिरक्षित करने और भूमि प्रयोग व्यवस्था (सेटलमेंट) पद्धतियों, परिवहन, बिजली और पानी, सामाजिक अवसंरचना, आपदा प्रबंधन, धरोहर और पर्यटन जैसी भौतिक अवसंरचनात्मक सुविधाओं से परस्पर संबंधित नीतिगत ढाँचे को निर्धारित करने के लिए, जीवन स्तर में सुधार करने और भू-उपयोग के विवेकपूर्ण पैटर्न को सुनिश्चित करने के लिए शहरी और ग्रामीण बस्तियों के सतत विकास हेतु एक बेजोड़ मॉडल व्यवस्था है।

8.3 इस योजना का उद्देश्य संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को एक वैश्विक उत्कृष्टता के क्षेत्र के रूप में विकसित करना है। इस योजना का लक्ष्य क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि और संतुलित विकास को बढ़ावा देना है तथा (क) दिल्ली के आर्थिक विकास के आवेग को समाने में सक्षम प्रादेशिक बस्तियों की पहचान और विकास के द्वारा भावी वृद्धि के लिए समुचित आर्थिक आधार मुहैया करने; (ख) पहचान की गई ऐसी बस्तियों में संतुलित प्रादेशिक विकास हेतु मदद करने के लिए भू-उपयोग पैटर्नो के साथ पूर्णत: एकीकृत, कारगर और सस्ता रेल तथा सड़क आधारित परिवहन नेटवर्क (व्यापक परिवहन प्रणालियों सहित) प्रदान करने; (ग) प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूतम करने; (घ) चुनिंदा शहरी बस्तियों को दिल्ली के समान परिवहन, विद्युत, संचार, पेयजल, सीवरेज तथा जल निकासी जैसी शहरी बुनियादी सुविधाओं समेत विकसित करने; (ङ) युक्तिसंगत भू-उपयोग ढाँचा मुहैया करने और (च) जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए इस क्षेत्र के सतत विकास को बढ़ावा देने के माध्यम से इन्हें प्राप्त करने की व्यवस्था है।

8.4 क्षेत्रीय योजना-2021 में, सभी उप क्षेत्रों में आबादी का अनुमान वर्ष 2021 के लिए लगाया था। क्षेत्रीय योजना-2021 में वर्ष 2011 के लिए उपक्षेत्रवार अनुमानित आबादी तथा जनगणना 2011 के आंकड़ों के साथ इसकी तुलना इस प्रकार है:-

(लाख में)

क्रम सं.	उप क्षेत्र	क्षेत्रीय योजना-2021 के अनुसार जनसंख्या	नए शामिल ज़िलों सहित जनसंख्या
1	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र - दिल्ली	138.5	167.9
2	हरियाणा उप क्षेत्र	86.8	164.3
3	उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र	115.7	187.1
4	राजस्थान उप क्षेत्र	29.9	62.2
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	**371.0**	**581.5**

8.5 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 में जिन क्षेत्रों पर जोर दिया गया है, वे इस प्रकार हैं:-

(क) प्राकृतिक आपदाओं की आशंका और सामाजिक-आर्थिक कार्यकलापों समेत प्राकृतिक विशेषताओं की सावधानीपूर्वक जांच (एनआरएससी, हैदराबाद से प्राप्त उपग्रह चित्रों समेत) से उभरे सुसंगत पैटर्न के अनुसार प्रादेशिक स्तर पर युक्तिसंगत भू-उपयोग निर्धारित करना।

(ख) आर्थिक कार्यकलापों को आकर्षित करने के लिए मेट्रो और क्षेत्रीय केन्द्रों का सशक्त विकास केंद्रकों के रूप में विकास।

(ग) क्षेत्रीय परिवहन संपर्क लिंक और व्यापक यात्री प्रणाली प्रदान करना।

(घ) दिल्ली के चारों ओर परिधीय (पेरीफेरल) एक्सप्रेस मार्गो और परिक्रमीय (आरबिटल) रेल गलियारे का निर्माण।

(ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नगरों में मूलभूत शहरी बुनियादी सुविधाओं (परिवहन, विद्युत, जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकासी) का विकास।

(च) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बाहर आदर्श औद्यौगिक एस्टेटों, विशेष आर्थिक जोनों के माध्यम से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का विकास।

8.6 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 में मेट्रो केन्द्रों, क्षेत्रीय केन्द्रों, उप-क्षेत्रीय केन्द्रों, सेवा केन्द्रों, केन्द्रीय गांवों और मूल गांवों को शामिल करते हुए एक छः स्तरीय बस्ती पद्धति का प्रस्ताव है। क्षेत्रीय योजना-2021 में निम्नलिखित के अनुसार 7 मेट्रो केन्द्रों (10 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले शहर/कॉम्प्लेक्स) तथा 11 क्षेत्रीय केन्द्रों (3 से 10 लाख की आबादी वाले शहर/ कॉम्प्लेक्स) का निम्नलिखित प्रस्ताव है:-

I	**मेट्रो केन्द्र**
1	फरीदाबाद-बल्लभगढ़
2	गुड़गाँव-मानेसर
3	गाजियाबाद-लोनी
4	नोएडा
5	सोनीपत-कुंडली
6	ग्रेटर नोएडा
7	मेरठ

II	**क्षेत्रीय केन्द्र**
1	बहादुरगढ़
2	पानीपत
3	रोहतक
4	पलवल
5	रेवाडी-धारूहेड़ा-बावल
6	हापुड़-पिलखुआ
7	बुलंदशहर-खुर्जा
8	बागपत-बड़ौत
9	अलवर
10	ग्रेटर भिवाड़ी
11	शाहजहाँपुर-नीमराणा-बेहरोड़

8.7 क्षेत्रीय योजना-2021 की नीतियों और प्रस्तावों को एनसीआर प्रतिभागी राज्यों द्वारा उनके संबंधित उप-क्षेत्रीय योजनाओं और महायोजना/विकास योजना इत्यादि जैसी विभिन्न पदानुक्रम योजनाओं द्वारा विस्तारित किया जाना है। क्षेत्रीय योजना-2021 की नीतियों और प्रस्तावों का कार्यान्वयन एनसीआर प्रतिभागी राज्यों और केंद्र सरकार के विभागों/एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है।

8.8 इसके अलावा, ऊर्जा, जल और स्वच्छता जैसे भौतिक आधारभूत संरचना की गुणवत्ता में सुधार और वृद्धि के लिए एनसीआर प्रतिभागी राज्यों की संबंधित एजेंसियों द्वारा नए और अभिनव दृष्टिकोणों को अपनाया जाना आवश्यक है। भूजल पुनर्भरण और जल संचयन को भवन निर्माण उपनियमों में एकीकृत करने की आवश्यकता है और एनसीआर प्रतिभागी राज्य सरकारों द्वारा जल पुनर्भराव क्षेत्रों के संरक्षण के लिए विभिन्न नगर नियोजन/शहरी विकास/शहरी सुधार अधिनियमों में संशोधन करने की भी आवश्यकता है। क्षेत्रीय योजना-2021 ने एनसीआर के तीव्र शहरीकरण के परिणामस्वरूप जल, वन और जैव विविधता जैसे घटते प्राकृतिक संसाधनों के लिए चिंता जताई है।

9. सिंहावलोकन का वर्ष: 2020-2021

वर्ष 2020-21 के दौरान शुरू किए गए प्रमुख कार्यकलापों और उपलब्धियों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है:-

9.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 का कार्यान्वयन

क्षेत्रीय योजना-2021 की नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने एनसीआर की संघटक राज्य सरकारों/एजेंसियों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों के द्वारा विभिन्न पहल/कार्रवाइयां की हैं।

9.1.1 परिवहन क्षेत्र में मुख्य पहलें

9.1.1.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मे सम्बद्धता

क) सड़क नेटवर्क

(i) क्षेत्रीय योजना-2021 में क्षेत्र में परिकल्पित विकास को प्रोत्साहित करने उसका दिशानिर्देशन करने और बनाए रखने और एनसीटी-दिल्ली और क्षेत्रीय नगरों के बीच उच्च यातायात आवागमन को समायोजित करने के लिए पदानुक्रमित सड़क नेटवर्क का प्रस्ताव किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रस्तावित पदानुक्रमित सड़क नेटवर्क का कार्यान्वयन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संघटक राज्यों और केंद्र सरकार के संबंधित विभागों द्वारा किया जा रहा है।

(ii) क्षेत्रीय योजना-2021 के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य संतुलित क्षेत्रीय टिकाऊ विकास के लिए भूमि प्रयोग स्वरूपों के साथ सुसम्मिलित कुशल और किफायती रेल और सड़क आधारित परिवहन प्रणाली (सार्वजनिक परिवहन प्रणाली सहित) प्रदान करना है| तदनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-2032 परिवहन के लिए एक कार्यात्मक योजना तैयार की है और उसका परिचालन प्रस्तावों/ नीतियों/ सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए संघटक राज्यों/ संबंधित क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा लागू किया गया है| कार्यात्मक योजना-2032 के प्रावधानों/प्रस्ताव का क्रियान्वयन प्रतिभागी राज्य सरकारों/संबंधित क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा किया जाना है| इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने भी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सुलभ ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है|

(iii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए परिवहन-2032 पर कार्यात्मक योजना में क्षेत्रीय त्वरित पारगमन प्रणाली, नई रेल लाईनें, क्षेत्रीय सार्वजनिक त्वरित परिवहन प्रणाली, एक्सप्रेसवे, सड़कों का उन्नयन, बस परिवहन प्रणाली, बस टर्मिनल, लॉजिस्टिक हब, एकीकृत भार ढुलाई परिसर, राजमार्ग सुविधा केंद्र, हवाई अड्डे के प्रस्तावों सहित अपेक्षित भूमि का चिह्नांकन भी शामिल हैं|

(iv) प्राथमिक सड़कें एनसीटी-दिल्ली के साथ क्षेत्रीय/प्राथमिक शहरों को जोड़ने वाली रेडियल सड़कें हैं। क्षेत्रीय योजना-2021 ने मौजूदा रिंग रोड, बाहरी रिंग रोड और पांच रेडियल सड़कों (राष्ट्रीय राजमार्ग) का विकास सीएनसीआर कस्बों तक (यानी एनएच-1 दिल्ली से कुंडली तक, एनएच-2 दिल्ली से बल्लभगढ़ तक, एनएच-8 दिल्ली से गुड़गांव तक, एनएच-10 दिल्ली से बहादुरगढ़ तक और एनएच-24 दिल्ली से गाजियाबाद तक) एक्सप्रेसवे मानकों पर प्रस्तावित किया है। इनमें से निम्नलिखित सड़कों को पूरा किया गया है और पिछले वित्तीय वर्ष में प्रचालनीय बनाया गया है|

(क) पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे (डब्ल्यूपीई) जिसे कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे के तौर पर भी जाना जाता है, का क्रियान्वयन हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी), हरियाणा सरकार द्वारा किया गया| पलवल से मानेसर तक डब्ल्यूपीई का एक हिस्सा 2016 में आरंभ किया गया तथा शेष हिस्सा नवम्बर, 2018 में शुरू किया गया|

(ख) 135 किमी. लंबा पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसवे (ईपीई) मई 2018 में शुरु किया गया| दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे का कुछ हिस्सा (निज़ामुद्दीन पुल, दिल्ली से उत्तर प्रदेश सीमा तक 8.7 किमी. लंबा भाग) भी मई, 2018 में आंशिक रूप से खोला गया जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के क्रियान्व्यनाधीन है|

ख) रेल नेटवर्क

(i) क्षेत्रीय योजना-2021 का प्रस्ताव है कि केवल सड़क नेटवर्क का विकास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवहन की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए, मांग और आपूर्ति में अंतर को पूरा करने के लिए एक सहायक रेल नेटवर्क विकसित करना होगा। इन नेटवर्कों की प्रणाली को एक एकीकृत तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है।

(ii) रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस)

क) क्षेत्रीय योजना-2021 का प्रस्ताव है कि प्राथमिक क्षेत्रीय रेल नेटवर्क को विशिष्ट गलियारों की मांग को पूरा करने के लिए समर्पित लाइनों के माध्यम से एक दूसरे के बीच और दिल्ली के साथ क्षेत्रीय कस्बों को जोड़ना चाहिए और इसे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। एनसीआर-2032 परिवहन पर कार्यात्मक योजना में एनसीआर के यात्रियों के लिए तीव्र और कुशल आठ आरआरटीएस गलियारों नामत: दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ, दिल्ली-गुड़गांव-रेवाड़ी-अलवर, दिल्ली-सोनीपत-पानीपत, दिल्ली-फरीदाबाद-बल्लबगढ़-पलवल, गाजियाबाद-खुर्जा, दिल्ली-बहादुरगढ़-रोहतक, गाजियाबाद-हापुड़ और दिल्ली-शाहदरा-बड़ौत सिफारिश की गई है|

ख) दिल्ली-मेरठ, दिल्ली-पानीपत और दिल्ली-अलवर के बीच 381 किलोमीटर की रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजनाएं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं, जो भारत सरकार और राजस्थान, उ.प्र., हरियाणा और दिल्ली राज्यों का एक संयुक्त उद्यम है। यह एनसीआर में आरआरटीएस परियोजना की योजना और कार्यान्वयन के लिए स्थापित किया गया है।है|

ग) एनसीआरटीसी द्वारा पहले चरण में तीन गलियारों अर्थात **दिल्ली-गाज़ियाबाद-मेरठ, दिल्ली गुरुग्राम-रेवाड़ी-अलवर और दिल्ली-सोनीपत-पानीपत** का विकास किया जा रहा है|

(iii) दिल्ली एवं केंद्रीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र **(सीएनसीआर)** नगरों के लिए एमआरटीएस

क) क्षेत्रीय योजना-2021 में प्रस्तावित किया गया है कि मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) को सीएनसीआर शहरों तक बढ़ाया जाए और दिल्ली में समोन्नत किए गए रिंग रेलवे और प्रस्तावित क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के साथ एकीकृत किया जाए। यह भी प्रस्तावित है कि उपयुक्त एकीकृत फीडर रेल/सड़क सेवाओं के साथ एमआरटीएस और आरआरटीएस की योजना बनाई जानी चाहिए। एमआरटीएस (मेट्रो) का विस्तार गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा,

गाजियाबाद-वैशाली, फरीदाबाद-बल्लभगढ़ और बहादुरगढ़ जैसे सीएनसीआर नगरों तक कर दिया गया है।

9.1.1.2 एनसीआर में अंतर-राज्यीय संपर्क सड़कें/लिंकेज

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संघटक राज्यों के बीच विभिन्न अंतर्राज्यीय संपर्क सड़कें/लिंकेज मुद्दे **(अनुलग्नक-9.1.1.2/I)** हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा अंतर्राज्यीय मुद्दों को हल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि, उक्त लिंकेज में से, दो मुद्दों अर्थात् बवाना औचंदी मार्ग का एसएच 18, हरियाणा तक विस्तार और कालिंदी कुंज-नोएडा के पास यमुना नदी पर दूसरे पुल के निर्माण का समाधान किया गया है और जनता के प्रयोग के लिए खोल दिया है। शेष लिंकेज के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड एनसीआर की संघटक राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की संबंधित एजेंसियों/विभागों के साथ लगातार प्रयास कर रहा है।

9.1.1.3 पारसपरिक आम परिवहन समझौता

क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संघटक राज्यों हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के परिवहन सचिवों/आयुक्तों (सीओटीएस) की एक समिति सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की अध्यक्षता में गठित की गई थी जो वाहनों के अंतर-राज्यीय आवागमन के सभी पक्षों से संबंधित कार्य देखती है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी संघटक क्षेत्रों के लिए बहुपक्षीय करारों के साझा स्वरूप पर विचार करती है, जिन पर एनसीआर में वाहनों के निर्बाध आवागमन को सुगम बनाने के लिए एनसीआर के संघटक राज्य हस्ताक्षर कर सकते हैं|

ख) हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच दो पारस्परिक सामान्य परिवहन समझौतों (RCTA) पर हस्ताक्षर किए गए। 14.10.2008 को 'कॉन्ट्रैक्ट कैरिज (सीसी)' के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रचलित यूरो मानदंडों की पुष्टि करने वाले और एनसीआर में पंजीकृत स्वच्छ ईंधन (सीएनजी) का उपयोग करने वाले सभी अनुबंध कैरिज वाहनों को अप्रतिबंधित आवागमन की अनुमति दी जाएगी। दूसरा समझौता 22.04.2010 को हस्ताक्षरित किया गया था जिसके द्वारा स्वच्छ ईंधन (सीएनजी) पर चलने वाले स्टेज कैरिज वाहनों (एनसीआर के भीतर उत्पन्न/समाप्त होने वाले) के लिए 'स्टेज कैरिज (एससी)' को अनुमति दी गई। दोनों समझौतों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के घटक राज्यों द्वारा अधिसूचित किया गया है।

ग) समझौते दस साल के लिए वैध थे और समय-समय पर बढ़ाए जा रहे थे। यह सुझाव दिया गया था कि एक संयुक्त मसौदे आरसीटीए (सीसी और एससी) पर गौर किया जा सकता है। ड्राफ्ट पारस्परिक आम परिवहन समझौता (कॉन्ट्रैक्ट कैरिज एंड स्टेज कैरिज) {आरसीटीए (सीसी एंड एससी)} पर तदनुसार चर्चा की गई और राज्यों के साथ साझा किया गया, इस अनुरोध के साथ कि राज्य जल्द से जल्द संयुक्त ड्राफ्ट आरसीटीए (सीसी और एससी) पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें।

घ) 12.12.2019 को हुई और उसके बाद 06.03.2020, 15.09.2020, 23.12.2020, 22.03.2021 और 17.06.2021 को आयोजित विभिन्न समिति की बैठकों में भी मामले की समीक्षा की गई।

ङ) दिनांक 22.03.2021 को आयोजित सीओटीएस बैठक में, नए संयुक्त आरसीटीए (सीसी और एससी) को अंतिम रूप देने और हस्ताक्षरित होने तक वैधता को तीन महीने के लिए, अर्थात अनुबंध कैरिज को 09.07.2021 तक और स्टेज कैरिज को 18.07.2021 तक बढ़ाया गया था।

9.1.2 एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना -2021 की समीक्षा

एनसीआरपीबी अधिनियम, 1985 के उपबंधों और बोर्ड के निर्देशों के अनुसार क्षेत्रीय योजना-2021 की दूसरी समीक्षा कार्रवाई आरंभ की गई| सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी की अध्यक्षता में संचालन समिति का गठन किया गया और चार बैठकों का आयोजन किया गया| क्षेत्रीय योजना-2021 के क्षेत्रों/अध्यायों की समीक्षा करने हेतु चौदह अध्ययन दलों का गठन किया गया| एनसीआर प्रतिभागी राज्यों व संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों के प्रतिनिधि, शिक्षाविद् और विषय विशेषज्ञ उक्त अध्ययन दलों का भाग थे| समीक्षा प्रक्रिया के पूरी होने और सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी की अध्यक्षता में दिनांक 04.06.2019 को संचालन समिति की चौथी बैठक आयोजित होने के बाद समीक्षा रिपोर्टों का एक सारांश तैयार किया गया| सिफारिशों के संकलन के साथ अंतिम समीक्षा रिपोर्ट विचारार्थ 15.07.2019 को आयोजित योजना समिति की 67$^{वीं}$ बैठक में प्रस्तुत की गई| इसके पश्चात क्षेत्रीय योजना-2041 को तैयार करने में एक इनपुट के तौर पर प्रयोग किए जाने के लिए बोर्ड ने दिनांक 13.09.2019 को आयोजित अपनी 38$^{वीं}$ बैठक में क्षेत्रीय योजना-2021 पर अध्ययन दलों की अंतिम समीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया| विभिन्न अध्यायों के लिए प्रारूप पत्रों में समीक्षा रिपोर्ट के इनपुट पर विचार किया जा रहा है, जिन्हें मसौदा क्षेत्रीय योजना -2041 का एक हिस्सा बनाने की योजना है।

9.1.3 एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना-2041 तैयार करना

9.1.3.1 एनसीआरपीबी क्षेत्रीय योजना-2041 तैयार करने की प्रक्रिया में है| इस बृहद कार्य की प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए विज्ञान भवन में 11.11.2019 को एक उद्घाटन संगोष्ठी का आयोजन किया गया था| इस संगोष्ठी का उद्घाटन श्री डी. एस. मिश्रा, सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य, भारत सरकार द्वारा किया गया जहां प्रख्यात पेशेवर, विषय विशेषज्ञ और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उद्योग से आमंत्रित अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित थे|

9.1.3.2 इसके अतिरिक्त एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना-2041 तैयार करने के लिए दिनांक 03.12.2019 से 24.01.2020 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों/पक्षों पर सत्रह पूर्ण दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया| इन कार्यशालाओं में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, शिक्षाविदों और

उद्योग जगत के 100-125 वरिष्ठ अधिकारियों और पेशेवरों ने भाग लिया| विभिन्न कार्यशालाओं के संक्षिप्त कार्यवृत्तों का सारांश दिनांक 16.03.2020 को आयोजित योजना समिति की 68वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया|

9.1.3.3 सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी की अध्यक्षता मे मूल सलाहकार समिति (सीएसी) का गठन जनवरी, 2020 में क्षेत्रीय योजना-2041 को तैयार करने के समन्वयन और उसकी निगरानी के दृष्टिकोण से किया गया था| इस वित्त वर्ष मे सीएसी की दो बैठकों का आयोजन 23.09.2020 और 05.01.2021 को किया गया|

9.1.3.4 क्षेत्रीय योजना-2041 (आरपी-2041) का पहला मसौदा आंतरिक रूप से तैयार किया गया था जिसे एसपीए दिल्ली के साथ अक्टूबर के अंत/नवंबर की शुरुआत में इसकी पहली समीक्षा के लिए साझा किया गया था। 05.01.2021 को हुई बोर्ड की 39वीं बैठक और सीएसी की बैठक के निर्णय के अनुसार, ड्राफ्ट आरपी-2041 को एनसीआर में भाग लेने वाले राज्यों को 6-7 जनवरी, 2021 को उनकी टिप्पणियों और सुझावों को 20.01.2021 तक प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ परिचालित किया गया है। मसौदा आरपी-2041 और प्राप्त टिप्पणियों और सुझावों को 23.02.2021 को आयोजित योजना समिति के समक्ष रखा गया है। इसके अलावा, 03.03.2021 को योजना समिति के निर्णयों के अनुसार संशोधित मसौदा आरपी-2041 को योजना समिति के सदस्यों के साथ साझा किया गया है। उनकी टिप्पणियों और सुझावों के लिए 04.03.2021 को केंद्रीय मंत्रालयों के साथ भी साझा किया गया।

9.1.4 एनसीआर के लिए उप क्षेत्रीय योजना-2021 के तहत उप क्षेत्रीय योजनाएं तैयार करना

9.1.4.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 17(1) के अनुसार "प्रत्येक भाग लेने वाला राज्य उस राज्य के भीतर के उपक्षेत्र के लिए एक उपक्षेत्रीय योजना तैयार करेगा और संघ राज्यक्षेत्र, संघ राज्यक्षेत्र के भीतर के उपक्षेत्र के लिए एक उपक्षेत्रीय योजना तैयार करेगा"।

9.1.4.2 उप-क्षेत्रीय योजनाएं (एसआरपी) संबंधित प्रतिभागी राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जाती हैं/तैयार की जा रही हैं| उपक्षेत्रीय योजनाओं के निर्माण की स्थिति इस प्रकार है:

उप-क्षेत्र	स्थिति
एनसीआर दिल्ली	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने तय किया है कि दि.वि.प्रा./अन्य एजेंसी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार उप-क्षेत्रीय योजना बनाने में शामिल हो सकते हैं, जिसे दिल्ली की उप-क्षेत्रीय योजना के रूप में अपनाए जाने से पूर्व दिल्ली सरकार व रा.रा.क्षे.यो.बो. द्वारा अनुमोदित किया जाए। एनसीटी दिल्ली के लिए एसआरपी-2021 का मसौदा दिल्ली सरकार से प्राप्त हो गया है जिसे 23.02.2021 को आयोजित योजना समिति की 69वीं बैठक में रखा गया था। योजना समिति ने समिति की टिप्पणी के साथ एसआरपी-2021 के मसौदे को बोर्ड के समक्ष रखने की सिफारिश की।

उत्तर प्रदेश	उ.प्र. सरकार ने उ.प्र. उपक्षेत्रीय योजना-2021 को दिनांक 31.12.2013 को प्रकाशित किया।
राजस्थान	राजस्थान सरकार ने 10.11.2015 को राजस्थान उपक्षेत्र (अलवर जिला) की उपक्षेत्रीय योजना-2021 का अनुमोदन किया है।
हरियाणा	हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि उपक्षेत्रीय योजना-2021 को वर्ष 2014 में अंतिम रूप दिया जा चुका है। तथापि, हरियाणा सरकार को एमओईएफ एवं सीसी के साथ कुछ मुद्दों का निराकरण करना है।

9.1.5 एनसीआर में जोड़े गए नए जिलों के लिए उप-क्षेत्रीय योजनाएं तैयार करना

उप-क्षेत्र	स्थिति
राजस्थान	राजस्थान सरकार ने दिनांक 18.02.2020 को भरतपुर जिले के लिए उपक्षेत्रीय योजना को अधिसूचित कर दिया है।
हरियाणा	हरियाणा उप-क्षेत्र के विस्तारित क्षेत्र के लिए हरियाणा सरकार द्वारा उपक्षेत्रीय योजना प्रस्तुत की गई जिस पर बोर्ड ने दिनांक 13.09.2019 को आयोजित अपनी 38$^{वीं}$ बैठक में विचार किया था ।
उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश सरकार ने पत्र दिनांक 09.04.2021 के माध्यम से मुजफ्फरनगर और शामली जिलों के लिए संशोधित मसौदा एसआरपी-2021 प्रस्तुत किया, जिसे विचार के लिए बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।

9.1.6 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का परिसीमन

9.1.6.1 बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार एनसीआरपीबी द्वारा एनसीआर के मानचित्रण के लिए एक समिति का गठन किया गया और एनसीआर के मानचित्रण पर एक प्रारूप रिपोर्ट तैयार की गई जिस पर योजना समिति की 67$^{वीं}$ बैठक (15.07.2019) और बोर्ड की 38वीं बैठक (13.09.2020) पर विचार विमर्श किया गया। बोर्ड मीटिंग के दौरान अध्यक्ष, एनसीआरपीबी के निर्देशानुसार प्रारूप रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों/सुझाए गए विकल्पों पर चर्चा के लिए विज्ञान भवन में दिनांक 17.01.2020 को एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में एनसीआर प्रतिभागी राज्यों के प्रतिनिधियों, हितधारकों और विशेषज्ञों ने भाग लिया।

9.1.6.2 एनसीआर परिसीमन पर बैठक 18.11.2020 को एएस (डी) की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, जिसके बाद 12.01.2021 और 12.03.2021 को सचिव, एचयूए की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जो 05.10.2020 को आयोजित बोर्ड की 39वीं बैठक के निर्णयों के अनुसार आयोजित की गई थी। एनसीआरपीबी बैठक में विचार-विमर्श के लिए सुझाए गए विकल्पों पर काम कर रहा है।

9.1.7 एनसीआर की क्षेत्रीय योजना-2021 के कार्यान्वयन की निगरानी

9.1.7.1 क्षेत्रीय योजना के कार्यान्वयन की निगरानी विभिन्न स्तरों पर की जाती है, जैसे बोर्ड, योजना समिति, परियोजना स्वीकृति एवं निगरानी समूह (पीएसएमजी), विभिन्न बैठकों के माध्यम से राज्य स्तरीय संचालन समिति। ब्यौरा निम्नलिखित है:

- बोर्ड की 39वीं बैठक 05.10.2020 को हुई।
- योजना समिति की 69वीं बैठक 23.02.2021 को हुई।
- पीएसएमजी-I की 59वीं बैठक 28.09.2020 को आयोजित की गई
- पीएसएमजी-II की 15वीं बैठक 23.09.2020 को आयोजित हुई
- एनसीआर के परिसीमन के लिए सचिव, एचयूए की अध्यक्षता में तीन (3) बैठकें 18.11.2020, 12.01.2021 और 12.03.2021 को आयोजित की गईं।
- क्षेत्रीय योजना-2041 के लिए कोर सलाहकार समिति की दो (2) बैठकें 23.09.2020 व 05.01.2021 को आयोजित की गई
- परिवहन सचिवों / आयुक्तों (सीओटीएस) की समिति की तीन (3) बैठकें 15.09.2020, 23.12.2020 और 22.03.2021 को आयोजित गई

9.1.8 एनसीआर के लिए जियो-पोर्टल का विकास

9.1.8.1 संपूर्ण एनसीआर के लिए एक केंद्रीय डेटाबेस भंडार की आवश्यकता और रिमोट सेंसिंग और जीआईएस प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग की परिकल्पना करना; राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के माध्यम से एनसीआर भाग लेने वाले राज्यों और एनसीआरपीबी के कार्यालय द्वारा उपयोग के लिए एक वेब जियो-पोर्टल विकसित किया गया है।

9.1.8.2 जियो-पोर्टल विकसित करने का प्रस्ताव एनआईसी से प्राप्त हुआ था और 10.10.2019 को सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी की अध्यक्षता में आयोजित परियोजना स्वीकृति और निगरानी समूह- II (पीएसएमजी-II) की 14$^{वीं}$ बैठक में 9,97,454.2 रुपये की मामूली लागत पर अनुमोदित किया गया था।

9.1.8.3 पोर्टल में लगभग 179 परतें/उप-परतें हैं जो लाइन, पॉइंट और पॉलीगॉन फीचर के रूप में प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें भूमि उपयोग, परिवहन, उद्योग, जल, बिजली, स्वास्थ्य, आश्रय, विरासत और पर्यटन, आपदा प्रबंधन जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विवरण शामिल हैं। आदि।

9.1.8.4 दिनांक 23.02.2021 को आयोजित 69वीं योजना समिति की बैठक में एनआईसी द्वारा जियो-पोर्टल पर एक प्रस्तुति दी गई। उक्त बैठक में प्रतिभागियों द्वारा दिए गए अवलोकन/सुझाव थे, जिन्हें एनआईसी द्वारा उपयुक्त रूप से शामिल किया गया था। एनसीआरपीबी की जीआईएस टीम पोर्टल में किए जाने वाले आवश्यक संशोधनों के संबंध में एनआईसी के साथ लगातार चर्चा और अनुवर्ती कार्रवाई कर रही है।

9.1.8.5 एनसीआर के लिए अपनी तरह के इस पहले वेब जियो-पोर्टल को विकसित करने के लिए, उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस, एक्सेस कंट्रोल और गतिशील कार्यात्मकताओं आदि के साथ एक मजबूत केंद्रीय डेटाबेस भंडार विकसित किया गया है और यह अब लॉन्च के लिए तैयार है।

9.2 बोर्ड द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं

9.2.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम की धारा 8(ई) के तहत बोर्ड व्यापक योजनाओं का चयन और अनुमोदन कर सकता है और उनके कार्यान्वयन के लिए सहायता उपलब्ध करा सकता है। बोर्ड उक्त धारा के प्रावधानों के तहत इस क्षेत्र के संतुलित विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं सीएमए के दायरे में एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न परियोजनाओं को वित्त उपलब्ध करा रहा है। बोर्ड घटक राज्यों (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित), काउंटर मैग्नेट क्षेत्रों और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों को परियोजना की अनुमानित लागत का अधिकतम 75% ऋण के रूप में उपलब्ध कराता है तथा बाकी राशि उन्हें स्वयं वहन करनी होती है ।

9.2.2 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर, बोर्ड की शक्तियां परियोजना स्वीकृति और निगरानी समूह-I (पीएसएमजी-I) और परियोजना स्वीकृति और निगरानी समूह-II (पीएसएमजी-II) को सौंप दी गई हैं।

9.2.3 सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य की अध्यक्षता में परियोजना स्वीकृति और निगरानी समूह-1 (पीएसएमजी-I) को ₹20.00 करोड़ से अधिक की अनुमानित लागत की परियोजनाओं और ₹50.00 लाख से अधिक के परामर्शी अध्ययन के लिए ऋण स्वीकृत करने का अधिकार है। जबकि, ₹20.00 करोड़ तक की अनुमानित लागत वाली परियोजनाओं और ₹50.00 लाख तक की अनुमानित लागत वाले परामर्शी अध्ययनों को परियोजना स्वीकृति और निगरानी समूह-II (पीएसएमजी-II) में अनुमोदन के लिए सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना होता है।

9.2.4 पीएसएमजी-I की 59वीं बैठक 28.09.2020 को आयोजित की गई, जिसमें ₹389.22 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ 6 बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के लिए ₹288.18 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया।

9.2.5 PSMG-II की 15वीं बैठक 23.09.2020 को आयोजित की गई जिसमें समूह ने ₹46,70,000/- की लागत से एसपीए, दिल्ली को परामर्श कार्य (एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना-2041 की तैयारी के संबंध में हैंडहोल्डिंग कंसल्टेंसी प्रस्ताव) के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

9.2.6 इसके अलावा, पीएसएमजी-I और पीएसएमजी-II के अलावा, परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी और तेजी लाने के लिए, वर्ष के दौरान राज्यों और/या उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों और एनसीआर प्रकोष्ठों के साथ निम्नलिखित समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं:

कार्यान्वयन एजेंसी	समीक्षा बैठक की तिथि
एचएसआरडीसी, हरियाणा	09.12.2020
पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	06.01.2021
पीएचईडी, राजस्थान	26.02.2021
जीएनआईडीए व एनएमआरसी, उ.प्र.	23.03.2021
पीडब्ल्यूडी, राजस्थान व जेडीए	23.03.2021
पीएचईडी, राजस्थान	26.03.2021

9.2.7 ई-पोर्टल "परियोजना प्रबंधन सूचना प्रणाली (पीएमआईएस)" का शुभारंभ - एनसीआरपीबी ने परियोजना की प्रगति, निगरानी और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में आ रही बाधाएं हटाने के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए एक इन-हाउस ई-पोर्टल "प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम (पीएमआईएस)" विकसित किया है। यह पोर्टल श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, सचिव, एचयूए मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 28.09.2020 को लॉन्च किया गया।

9.2.8 बोर्ड ने **₹31489** करोड़ की अनुमानित लागत वाली 365 अवसंरचना विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की है जिसमें से **₹15114** करोड़ की राशि ऋण के रूप में स्वीकृत की गई है। बोर्ड ने मार्च, 2021 तक लगभग **₹12616** करोड़ की ऋण राशि जारी की है।

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार एनसीआर का क्षेत्र-वार परियोजना सारांश

सेक्टर	परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	रा.रा.क्षे.यो.बो. द्वारा जारी ऋण
भूमि विकास	97	4586	1691	1450
परिवहन	133	13666	7307	6162
सीवरेज	49	2628	1758	1516
जल	52	2984	2027	1358
विद्युत	24	6427	1598	1462
अन्य	4	625	388	332
सामाजिक	6	570	344	336
कुल योग	**365**	**31489**	**15114**	**12616**

9.2.9 स्वीकृत ऋण की दृष्टि से परियोजनाओं का क्षेत्रवार सार चित्र-1 में दिया गया है।

चित्र-1

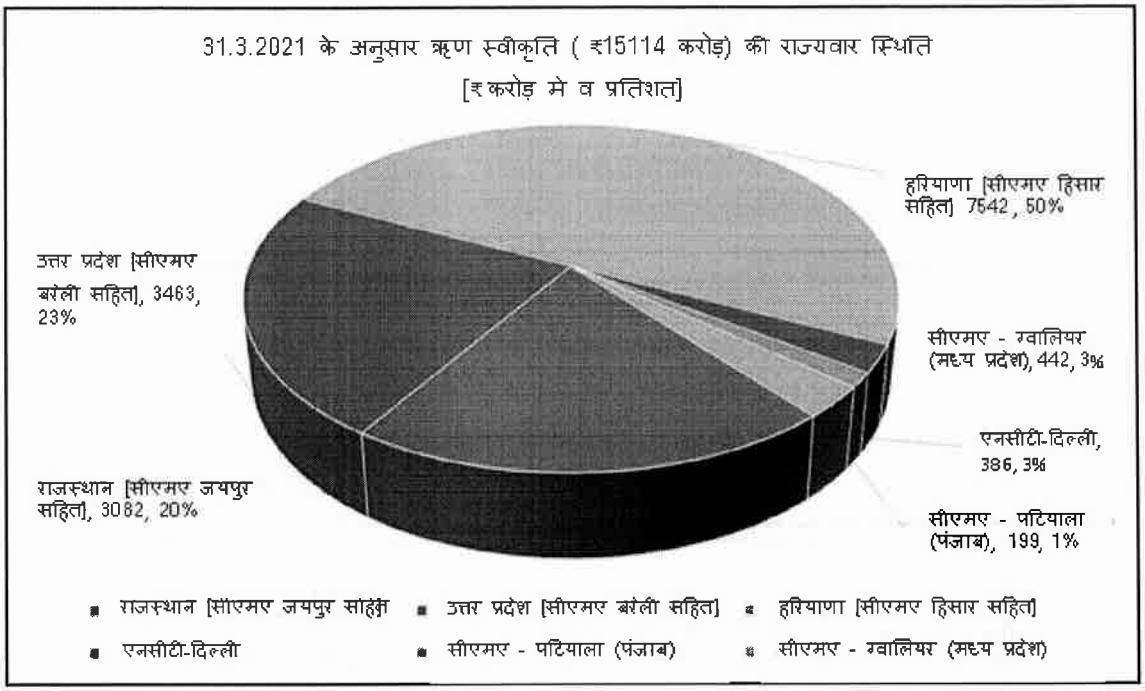

9.2.10 पूर्ण तथा प्रक्रियाधीन परियोजनाओं का उपक्षेत्रवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं का उप-क्षेत्रवार ब्यौरा (31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रू में)

क्रम सं.	राज्य	स्थिति	परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	एनसीआरपीबी द्वारा जारी ऋण
1	राजस्थान [सीएमए-जयपुर सहित]	प्रक्रियाधीन	55	3469	2451	2152
		पूर्ण	30	1679	631	595
	उप-योग		**85**	**5148**	**3082**	**2747**
2	उत्तर प्रदेश [सीएमए-बरेली सहित]	प्रक्रियाधीन	3	5808	1812	1600
		पूर्ण	54	3314	1651	1413
	उप-योग		**57**	**9122**	**3463**	**3013**
3	हरियाणा	प्रक्रियाधीन	34	1706	1182	629

	[सीएमए-हिसार सहित]	पूर्ण	177	13994	6360	5687
	उप-योग		**211**	**15700**	**7542**	**6316**
4	एनसीटी-दिल्ली	प्रक्रियाधीन	1	102	76	20
		पूर्ण	2	521	310	310
	उप-योग		**3**	**623**	**386**	**330**
5	पंजाब में सीएमए पटियाला	प्रक्रियाधीन	1	208	153	31
		पूर्ण	2	79	46	46
	उप-योग		**3**	**287**	**199**	**77**
6	मध्य प्रदेश में सीएमए-ग्वालियर	प्रक्रियाधीन	2	475	341	32
		पूर्ण	4	134	101	101
	उप-योग		**6**	**609**	**442**	**133**
	कुल	प्रक्रियाधीन	**96**	**11768**	**6015**	**4464**
		पूर्ण	**269**	**19721**	**9099**	**8152**
	कुल योग		**365**	**31489**	**15114**	**12616**

9.2.11 **अनुबंध-9.2.11/I** के अनुसार, बोर्ड द्वारा वित्तपोषित 365 परियोजनाओं में से प्राप्त सूचना के अनुसार 269 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और 96 कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

9.2.12 इन 96 परियोजनाओं में से 47 को भौतिक रूप से पूरा कर लिया गया है, हालांकि, इन परियोजनाओं का अंतिम समापन निम्नलिखित कारणों से प्रभावित हुआ है: -

क) बिल को अंतिम रूप न देने, अपर्याप्त राज्य वित्त पोषण आदि के कारण 31 परियोजनाओं (हरियाणा के 2 और राजस्थान के 29) का वित्तीय समापन लंबित है।

ख) 10 परियोजनाओं (हरियाणा के 5, राजस्थान के 3, उत्तर प्रदेश के 1 और सीएमए ग्वालियर के 1) के जमा किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्र/पूर्णता प्रमाण पत्र में कुछ विसंगतियां जिन्हें एनसीआरपीबी के अधिकारियों द्वारा बार-बार प्रयास करने के बावजूद हल किया जाना शेष है। इसके अलावा, 6 परियोजनाओं के सीसी और यूसी की जांच की जा रही थी।

9.3 वर्ष के दौरान ऋण संवितरण

9.3.1 वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्रतिभागी राज्यों और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों को 19 प्रक्रियाधीन और 5 नई परियोजनाओं के लिए ₹346.99 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान क्षेत्रवार जारी ऋण का ब्यौरा :-

क्षेत्र	राशि करोड़ में
जलापूर्ति/ जल	**37.89**
सड़कें	**295.91**
विद्युत	**13.19**
कुल	**346.99**

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान परियोजनावार जारी ऋण का ब्यौरा

(रकम ₹ करोड़ मे)

क्रम सं	परियोजना का नाम	परियोजना की अनुमानित लागत	उधारकर्ता एजेंसी	परियोजना का प्रकार	जारी ऋण
1	पलवल और नूंह जिले में पलवल हथीन उटावर सड़क (एमडीआर-135) को 4 लेन/उठाने/सीसी फुटपाथ/मजबूती से सुधार (लंबाई 22.400 किमी)	73.81	पीडब्ल्यूडी (बी&आर)/ एचएसआरडीसी हरियाणा	सड़क	**22.14**
2	नूंह जिले में किमी 0.00 से 12.20 तक कोटा खंडेवाल तक टौरू सरिया रोड का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण। (आईडी 1095 और 1106)	32.51	पीडब्ल्यूडी (बी&आर)/ एचएसआरडीसी हरियाणा	सड़क	**14.63**
3	नूंह जिले में किमी 0.00 से 9.83 तक पुन्हाना सिकरावा रोड पर पुनर्निर्माण के साथ चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण (आईडी 1288)	31.90	पीडब्ल्यूडी (बी&आर)/ एचएसआरडीसी हरियाणा	सड़क	**14.35**
4	बलभगढ़ छैंसा मोहना रोड पर किलोमीटर 3.00 (बाय पास रोड) से फरीदाबाद जिले में 14.96 (केजीपी पर इंटरचेंज) तक विभाजित कैरिजवे प्रदान करके केजीपी एक्सप्रेसवे के साथ फरीदाबाद शहर की कनेक्टिविटी में सुधार करना।	73.06	पीडब्ल्यूडी (बी&आर)/ एचएसआरडीसी हरियाणा	सड़क	**21.91**
5	नूंह जिले में किमी 000 से 11.30 तक पुन्हानाकोट रोड के पुनर्निर्माण के साथ चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण(आईडी 1271)	42.88	पीडब्ल्यूडी (बी&आर)/ एचएसआरडीसी हरियाणा	सड़क	**19.30**

6	पंचायत भवन/एसबीबीजे बैंक से अंबाबारी टी-जंक्शन, जयपुर तक मौजूदा झोटवाड़ा आरओबी के समानांतर 3 लेन आरओबी का निर्माण	166.73	जयपुर विकास प्राधिकरण	सड़क	**5.00**
7	0/0 से 12/0 तक 3.75 मीटर से 7.0 मीटर तक सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण और उन्नयन (बड़ौदामोगंडुरा लक्ष्मणगढ़)	15.88	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	**7.15**
8	गांव के हिस्से में 0/0 से 9/900, 10/750 से 14/600 और 15/400 से 16/400 तक बड़ौद से शाहजहांपुर रोड का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण एवं विकास कार्य सी.सी. (एमडीआर-206)	22.78	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	**10.25**
9	सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण और उन्नयन 5.5 मीटर से 7.0 तक किलोमीटर 0/0 से 12/0 तक (खेरली से भानोखर)	15.87	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	**7.14**
10	राष्ट्रीय राजमार्ग-8 से पहाड़ी किलोमीटर 0/0 से 11/100 तक उन्नयन सुदृढ़ीकरण एवं विकास पुनर्निर्माण कार्य	15.44	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	**6.95**
11	"पंचायत भवन/एसबीबीजे बैंक से अंबाबारी टी-जंक्शन, जयपुर तक मौजूदा झोटवाड़ा आरओबी के समानांतर 3 लेन आरओबी का निर्माण"।	166.73	जयपुर विकास प्राधिकरण	सड़क	**44.00**
12	0/0 से 3/0 (ए/आर से बलदेवगढ़) तक 3.0 मीटर से 7.0 मीटर तक सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण और उन्नयन	5.30	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	**2.38**
13	सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण और उन्नयन 3.0 मीटर से 7.0 मीटर तक किमी 0/0 से 3/500 (ए/आर से घाटरा)	6.17	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	**2.77**
14	प्रतापगढ़-अजबगढ़-बुर्जा तिरया रोड किमी 0/0 से 25/0 (एसएच-77) का विकास	34.59	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	**15.56**
15	पटियाला विकास प्राधिकरण द्वारा ईपीसी आधार पर पटियाला में बड़ी नदी और छोटी नदी का जीर्णोद्धार, एसटीपी और ईटीपी का निर्माण व सीवरेज नेटवर्क	208.33	पीडीए, पटियाला	जल	**31.25**
16	जिला सोनीपत में सोनीपत से गनौर तक कामी (किमी 0.00 से 13.600 तक जीटी	22.46	पीडब्ल्यूडी (बी&आर)/	सड़क	**3.00**

	रोड (एनएच-44) के माध्यम से लालेरी-लासौली (किमी 0.00 से 4.63) के माध्यम से मौजूदा सड़क को चौड़ा और मजबूत करके उन्नयन		एचएसआरडीसी हरियाणा		
17	पदिसल-जगताबसई-रट्टाखुर्द- बालनबसई-श्यामका-इस्माइलपुर-गंज-किशनगढ़बास रोड	25.68	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	**11.56**
18	रेवाड़ी-नारनौल मार्ग से रेवाड़ी-झज्जर होते हुए रेवाड़ी-दादरी मार्ग एवं रेवाड़ी-मोहिंदरगढ़ मार्ग सहित 3 नं. आरओबी (प्रस्तावित बाय-पास), रेवाड़ी	176.00	पीडब्ल्यूडी (बी&आर) हरियाणा	सड़क	**40.00**
19	सोनीपत जिले में मौजूदा सोनीपत-रथधना नरेला सड़क किमी 2.310 से 14.800 तक का उन्नयन (आईटीआई चौक से साफियाबाद गांव तक सोनीपत जिला सीमा तक), सोनीपत	101.81	पीडब्ल्यूडी (बी&आर) हरियाणा	सड़क	**30.00**
20	रेवाड़ी जिले में मौजूदा रेवाड़ी शाहजहांपुर सड़क (एसएच-15) के किमी 6.42 से 22.42 तक चौड़ीकरण (7 से 10 मीटर) और 22.42 किमी से 26.62 तक सुदृढ़ीकरण करके सुधार। (आईडी 1447)	42.14	पीडब्ल्यूडी (बी&आर) हरियाणा	सड़क	**5.61**
21	रेवाड़ी जिले में (i) सीसीपी प्रदान करके सुधार किमी 1.60 से 10.91 तक मौजूदा रेवाड़ी-बावल सड़क का 4-लेनिंग (ओडीआर वीटी) (आईडी 9957) (ii) रेवाड़ी जिले में किमी 11 से 12.75 तक मौजूदा रेवाड़ी बावल सड़क का सीसीपी (ओडीआर वीटी) (आईडी 1449)	42.51	पीडब्ल्यूडी (बी&आर) हरियाणा	सड़क	**5.88**
22	रेवाड़ी जिले (ओडीआर वीटी) (आईडी 1606) में मौजूदा कुंडखोल मंडोला सड़क को 0.00 किमी से 18.82 तक चौड़ा करके (5.50 मीटर से 7 मीटर) सुधार (आईडी 1606)	42.20	पीडब्ल्यूडी (बी&आर) हरियाणा	सड़क	**6.33**
23	"132 केवी जीएसएस भादुरपुर, टेल्को सर्कल व अलवर जिले में खैरथल" राजस्थान	43.70	आरवीपीएन लिमिटेड	विद्युत	**13.19**

24	पीएचईडी, राजस्थान से शहरी जलापूर्ति योजना किशनगढ़ बास, जिला अलवर का पुनर्गठन	21.06	पीएचईडी, राजस्थान	जलापूर्ति	**6.64**
	कुल	**1429.54**			**346.99**

9.4 वित्तीय संसाधन

9.4.1 वर्ष 2020-21 के दौरान बोर्ड के वित्तीय संसाधन निम्नानुसार हैं:

क) भारत सरकार द्वारा बजटीय सहायता

i. आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त अंशदान - ₹35 करोड़।

ii. वेतन तथा भत्तों और बोर्ड के अन्य कार्यालय व्यय को पूरा करने के लिए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से अनुदान - ₹4.93 करोड़।

ख) आंतरिक तथा वाह्य बजटीय संसाधन

i. नकद आधार पर आंतरिक प्रोद्भूत अर्थात राज्य सरकारों और उनके परास्थित संगठनों (पैरास्टेटल्स) को दिए ऋण और बैंक में जमा धनराशियों इत्यादि से अर्जित ब्याज - ₹358.08 करोड़।

ii. ऋण लेने वालों यानी राज्य सरकारों और उनके परास्थित संगठनों (पैरास्टेटल्स) द्वारा ऋण (मूल) की वापसी - ₹507.08 करोड़। राज्य सरकारों और उनकी कार्यात्मक एजेंसियों द्वारा ऋणों की वापसी करने में कोई चूक नहीं हुई है। हरियाणा की कार्यान्वयन एजेंसियों जैसे एमसीएफ, पीडब्ल्यूडी और पीएचईडी ने किश्त की निर्धारित तिथि के अनुसार अपनी चुकौती में देरी की है, हालांकि, वर्ष के दौरान दंडात्मक ब्याज के साथ मूलधन और ब्याज चुकाया है। इस प्रकार वर्ष 2020-21 के लिए रिकवरी 100% है।

iii. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, प्राप्त अनुदान और वास्तविक व्यय निम्नलिखित अनुसार हैं:

(करोड़ ₹ में)

ब्यौरा	**आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से अनुदान**	**वास्तविक व्यय**
पूंजी*	35.00	403.71***
राजस्व**	4.93	

** अनुदानों/बजटीय अंशदान से अधिक पूंजीगत व्यय को ऋण चुकौती और बोर्ड के संचित आंतरिक उपार्जन से पूरा किया गया था।*

*** राजस्व अनुदान से अधिक राजस्व व्यय बोर्ड के आंतरिक संसाधनों से पूर्ण किए गए।*

**** 31.3.2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित आय और व्यय खाते के अनुसार। इसमें बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए राज्यों/उनकी एजेंसियों को दिए गए ऋण भी शामिल हैं।*

9.4.2 संसाधन संग्रहण

क) घरेलू पूँजी बाजार - वर्ष 2020-21 के दौरान, बोर्ड ने घरेलू पूंजी बाजार से कोई राशि नहीं जुटाई है। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार बॉन्ड्स के जरिए बोर्ड का कुल बकाया उधार शून्य है।

ख) बहुपक्षीय/द्विपक्षीय वित्त पोषण

i. **एशियाई विकास बैंक से ऋण** - एडीबी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके काउंटर मेग्नेट क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए बहु-किश्त वित्तपोषण सुविधा के तौर पर एनसीआरपीबी को 150 मिलियन अमरीकी डॉलर का ऋण अनुमोदित किया है| 78 मिलियन अमरीकी डॉलर की पहली किश्त के लिए ऋण करार पर एडीबी और एनसीआरपीबी द्वारा 17.03.2011 को हस्ताक्षर किए गए| 78 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण राशि की पहली किश्त में से 18.01 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि रद्द कर दी गई है| बोर्ड ने पहले ही 59.99 मिलियन अमरीकी डॉलर (₹352.06 करोड़) की संपूर्ण ऋण राशि का प्रयोग किश्त 1 के लिए 31.12.2014 की समापन तारीख तक कर लिया है| ब्याज की दर अर्धवार्षिक रूप से देय संगत अवधि की उनकी निधियों की लागत के आधार पर एडीबी द्वारा यथानिर्धारित 6 महीने के एलआईबीओआर+मार्जिन पर आधारित है| ऋण वापसी अवधि 5 वर्ष की ऋण स्थगन अवधि (मोराटोरियम पीरियड) के साथ 25 वर्ष होगी| बोर्ड एडीबी को नियमित रूप से अपनी देयताओं का भुगतान कर रहा है। दिनांक 31.3.2021 की स्थिति के अनुसार एडीबी के ऋण की कुल बकाया राशि 52.94 मिलियन अमरीकी डॉलर (₹389.16 करोड़) है।

ii. **केएफडब्ल्यू जर्मन द्विपक्षीय एजेंसी से ऋण** - केएफडब्ल्यू द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को जलापूर्ति, मल निकासी, जल निकासी, अपशिष्ट प्रबंधन और शहरी परिवहन क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल स्कीमों के लिए 100 मिलियन यूरो ऋण + 1 मिलियन यूरो अनुदान के ऋण करारों पर क्रमश: 09 फरवरी, 2012 तथा 30 मार्च, 2012 को हस्ताक्षर किए गए। केएफडब्ल्यू को ऋण वापसी की अवधि मूल धनराशि की अदायगी के लिए 05 वर्ष की स्थगन अवधि समेत 15 वर्ष होगी। ऋण के लिए स्थाई ब्याज दर 1.83% प्रति वर्ष है। बोर्ड ने केएफडब्ल्यू से 100 मिलियन यूरो की राशि का दावा किया है और उसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त की है| बोर्ड नियमित रूप से केएफडब्ल्यू को देयताओं का भुगतान कर रहा है। दिनांक 31.3.2021 की स्थिति के अनुसार, केएफडब्ल्यू के ऋण की कुल बकाया राशि (पुनर्भुगतान के पश्चात) 60.00 मिलियन यूरो (₹516.59 करोड़) है।

9.4.3 लेखों का लेखा परीक्षण - नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ वर्ष 2019-20 के लिए बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संसद के दोनों सदनों (राज्य सभा-17.03.2021 एवं लोक सभा-18.03.2021) में प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

9.4.4 **लेखापरीक्षा टिप्पणी-** वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, लोक लेखा समिति (2020-21) ने सीएण्डएजी (C&AG) की रिपोर्ट संख्या 3, 2020 की पैरा संख्या 4.1 "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की कार्यप्रणाली" को परीक्षा के लिए चुना है। इस संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के कामकाज पर पृष्ठभूमि नोट, सीएण्डएजी टिप्पणियों के संबंध में विभागीय स्थिति के साथ बोर्ड द्वारा मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है (लेखा परीक्षा अवलोकन और विभागीय स्थिति का सारांश **अनुलग्नक-9.4.4/I** के रूप में संलग्न है)।

9.5 प्रशासन और सतर्कता

9.5.1 प्रशासन

क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड सचिवालय में नियोजन, प्रशासन एवं स्थापना, वित्त तथा परियोजना विभाग हैं। 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार बोर्ड की कुल स्वीकृत और वास्तविक कार्मिक-संख्या निम्नलिखित है -

श्रेणी	स्वीकृत संख्या	वास्तविक संख्या
समूह 'क'	16*	9
समूह 'ख'	6	4
समूह 'ग'	24	23
समूह 'घ'	7	7
कुल	**53**	**43**

**इसमे 2 नए पद (सहायक निदेशक (वित्तीय प्रबंधन) एवं सहायक निदेशक (सुरक्षोपाय)) शामिल हैं जिनके लिए भर्ती नियमों का अनुमोदन/अधिसूचना लम्बित है।*

ख) बोर्ड समय-समय पर लागू अपने भर्ती नियमों तथा भारत सरकार के नियमों/अनुदेशों के अनुसार आरक्षण नीतियों को लागू कर रहा है। बोर्ड के एक अधिकारी को **अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांगों समेत अल्पसंख्यक कर्मचारियों** के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी सभी दिशानिर्देशों और प्रोटोकॉल का पालन करता है।

9.5.2 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड में ई-ऑफिस का कार्यान्वयन

अभिलेखों और फाइलों की स्कैनिंग और डिजिटाइजेशन के बाद, दिसंबर, 2020 से एनसीआरपीबी में एनआईसी का ई-ऑफिस-फाइल मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल लागू किया गया है। कार्यालय रिकॉर्ड के लगभग चार लाख पृष्ठों को डिजिटल किया गया है और ई-ऑफिस पर अपलोड किया गया है।

9.5.3 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड में राजभाषा हिंदी का प्रचार

शासन की राजभाषा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 की अवधि के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं। कर्मचारियों को हिंदी नोटिंग और ड्राफ्टिंग में प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से 4 हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। सितंबर, 2020 में हिंदी पखावाड़ा' का आयोजन किया गया जिसमें निबंध, संक्षिप्ति लेखन, अनुवाद प्रतियोगिता, दोहा व मुहावरा ज्ञान प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया और उन्हें पुरस्कार वितरित किए गए।

9.5.4 सतर्कता

क) श्री पी.सी. धस्माना, निदेशक, एमओएचयूए को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड में अंशकालिक सीवीओ के रूप में नामित किया गया है। सतर्कता संबंधी सभी मामलों और मुद्दों को अंशकालिक सीवीओ द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अधिदेशित ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सतर्कता प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट www.ncrpb.nic.in पर बोर्ड के अधिदेश और कार्य, ऋण सहायता-प्राप्त करने के इच्छुक उधारकर्ताओं हेतु दिशा निर्देश समेत इस संबंध में लिए जाने वाले निर्णयों के लिए अपनाई जाने वाली पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अपलोड किया जाता है। इस वेबसाइट पर अधिनियमों, नियमों और विनियमों तथा प्रमुख विशेषताओं समेत क्षेत्रीय योजनाओं संबंधी ब्रोशर, विभिन्न योजनाओं की स्थिति, ऋण सहायता-प्राप्त करने के इच्छुक उधारकर्ताओं हेतु व्यापक दिशानिर्देश, ऋण संबंधी शर्तें, लागू ब्याज दरें और उपलब्ध छूट, परियोजनाओं की स्थिति, वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखे भी उपलब्ध हैं। इस पर उधारकर्ता द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले फार्मों, जिन्हें डाउनलोड किया जा सकता है, समेत टेंडरों/आरएफपी आदि के लिए निर्धारित क्षेत्र सहित पूर्ण ऋण दस्तावेजों संबंधी सूचना उपलब्ध है। अन्य अनिवार्य सूचना के अतिरिक्त वेबसाइट पर रिक्त पदों के विज्ञापन, भर्ती के लिए पात्रता-मानदंडों के साथ-साथ भावी उम्मीदवारों द्वारा अपेक्षित अन्य अनिवार्य सूचनाओं को दर्शाया जाता है।

ग) बोर्ड कार्यालय ने दिनाक 20 अक्टूबर से 2 नवम्बर, 2020 तक सतर्कता जागरुकता सप्ताह मनाया, जिसमे 29.11.2020 को वीडिओ कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा 'गुड गवर्नेंस' पर श्री आर.एन.बंसल, पूर्व सन्युक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा कार्यशाला/लेक्चर आयोजित किया गया। इसके अलावा, बोर्ड के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा 27.11.2020 को सत्यनिष्ठा संकल्प भी लिया गया।

9.5.5 सूचना का अधिकार (आरटीआई)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के अनुसार बोर्ड कार्यालय में 4 जन सूचना अधिकारी और 3 अपीलीय प्राधिकारी स्थित हैं। जन सूचना अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारियों के

ब्यौरे बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड किए गए हैं। अधिकारियों को प्रक्रिया से अवगत कराया गया है और आवेदन प्राप्त करने से लेकर निर्धारित समय के भीतर आवेदक को सूचना प्रदान करने तक की आंतरिक प्रक्रिया को सुचारू बनाया गया है| आवेदकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए सभी कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा इस निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। इसके अलावा समय पर सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए समुचित स्तर पर समय-समय पर आवधिक निगरानी भी की जाती है। अप्रैल 2020 से मार्च 2021 की अवधि में 60 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए और उनका निपटान किया गया। यह कार्यालय नियमित रूप से आवेदनों का तिमाही एवं वार्षिक ब्यौरा केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) की वेबसाइट पर अपलोड करता है तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को भी इसकी सूचना दी जाती है।

9.5.6. संगठनात्मक संरचना

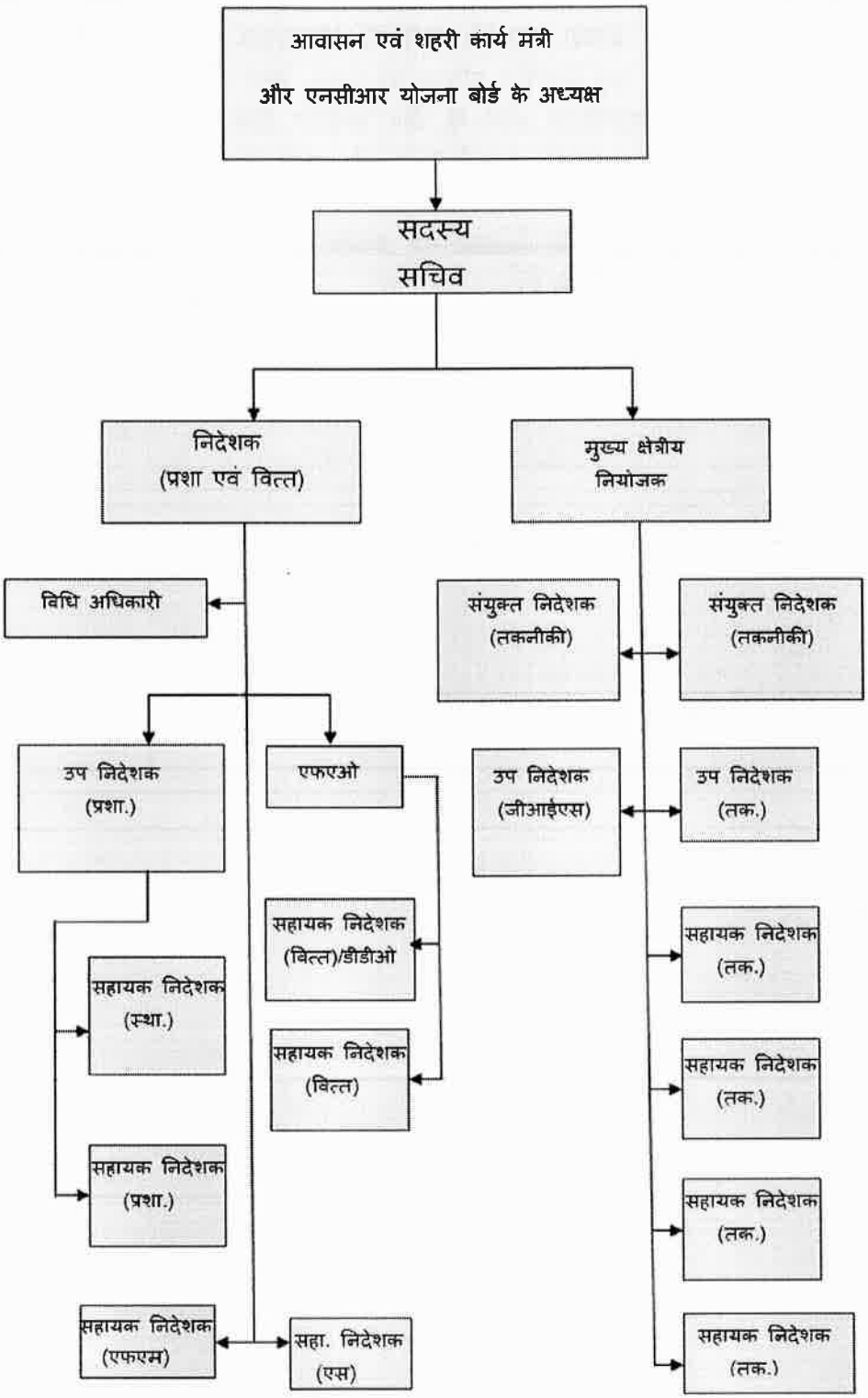

9.5.6. संगठनात्मक संरचना जारी...

31.3.2021 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के कार्यालय में पदस्थापित अधिकारी

क्रम सं.	नाम	पदनाम
1.	श्रीमती अर्चना अग्रवाल	सदस्य सचिव
2.	**पद रिक्त**	मुख्य क्षेत्रीय नियोजक
3.	श्री जगदीश परवानी	निदेशक (प्रशा एवं वित्त)
4.	**पद रिक्त**	संयुक्त निदेशक (तक.)
5.	**पद रिक्त**	संयुक्त निदेशक (तक.)
6.	**पद रिक्त**	विधि अधिकारी*
7.	श्री नबील जाफरी	उप निदेशक (तक.-जीआईएस)
8.	श्री हर्ष कालिया श्रीमती शिल्पा विजयवर्गीय	उप निदेशक (प्रशा.)- चिकित्सीय आधार पर अवकाश पर प्रभारी - उप निदेशक (प्रशा.)
9.	श्री रमेश देव	उप निदेशक (तक.- यूआरपी)
10.	श्री अजिताभ सक्सेना	वित्त एवं लेखा अधिकारी
11.	श्री अभिजीत सामंता	उप निदेशक (तक.) **
12.	श्री श्रीमती नीलिमा माझी	उप निदेशक (तक.) **
13.	श्री नरेश कुमार	सहायक निदेशक (तक.)
14.	**पद रिक्त**	सहायक निदेशक (तक.)
15.	श्री एस.एच. असगर	सहायक निदेशक (वि.प्र.) - पीएमसी/पीएमयू#
16.	**पद रिक्त**	सहायक निदेशक (सु.उ.)
17.	श्री सत्यबीर सिंह	सहायक निदेशक (तक.) **
18.	श्री एस. के. कटारिया	सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ
19.	श्री शिरीष शर्मा	सहायक निदेशक (प्रशा.)
20.	श्री देवेंद्र कुमार	सहायक निदेशक (वित्त)
21.	**पद रिक्त**	सहायक निदेशक (स्था.)

** भर्ती प्रक्रिया जारी है।*

*** आकलन योजना के तहत प्रदत्त इन-सिटु पदोन्नति*

 # अल्पावधि अनुबंध के आधार पर वर्तमान रूप से अस्थायी पद पर नियुक्त। इन पदों को विनियमित कर दिया गया है और भर्ती विनियमन तैयार करने की प्रक्रिया जारी है।

अनुबंध-9.1.1.2/I

एनसीआर में अंतर्राज्यिक संपर्कता सड़कें/संयोजन (लिंकेज)

1. आश्रम चौक, दिल्ली से कालिंदी बाय-पास सड़क से फरीदाबाद बाय-पास।
2. कालिंदी कुंज-नोएडा (120 मीटर अनुप्रवाह) के पास यमुना नदी पर दूसरे पुल का निर्माण (अब पूरा हो चुका है); और नोएडा में चिल्ला रेगुलेटर (मयूर विहार के पास), सेक्टर-14ए से एमपी-3 रोड (महामाया फ्लाईओवर) तक शाहदरा नाला संरेखण (ड्रेन-एलाइनमेंट) के साथ एलिवेटेड रोड (कार्य आरंभ हो चुका है)।
3. गुड़गांव को जोड़ने वाली क्षेत्रीय योजना के-II में 80 मीटर द्वारका लिंक (30 मीटर चौड़ी हरित पट्टी के साथ 150 मीटर की चौड़ाई लिए हुए एनपीआर से गुज़रते हुए) (कार्य आरंभ हो चुका है)|
4. तिलोरी गाँव, फरीदाबाद के साथ सेक्टर 149-ए और 150 नोएडा को जोड़ने वाला पुल|
5. सेक्टर 168 और 167-ए, नोएडा को लालपुर गांव, फरीदाबाद से जोड़ने वाला पुल|
6. छपरौली और हाथवाड़ा (ग्राम पानीपत, हरियाणा) के बीच यमुना पर पुल (कार्य आरंभ हो चुका है)|
7. गुड़गांव क्षेत्र को नजफगढ़ रोड से जोड़ने वाली 75 मीटर चौड़ी सड़क लिंक
8. उत्तर प्रदेश मे यूईआर-I, दिल्ली से खेकड़ा सिटी रा.रा.-57 तक और यूईआर-II, दिल्ली से ट्रॉनिका सिटी रा.रा.-57 तक|
9. एसएच 18, तक बवाना औचंदी मार्ग विस्तार (कार्य पूरा हो चुका है)|
10. एजुकेशन सिटी, कुंडली से 60 मीटर चौड़ी सड़क को दिल्ली से जोड़ने और जोन पी-II के जोनल प्लान में शामिल करने की आवश्यकता है|
11. महरौली-गुड़गांव रोड को रा.रा.-236 के रूप में विकसित किया जाना है|
12. रिंग रोड (इंदर लोक मेट्रो स्टेशन) एवं मौजूदा यमुना नहर लिंक रोड से हरियाणा की सीमा तक सड़क|
13. दिल्ली रिज से गुजरती हुई नेल्सन मंडेला टी-पॉइंट (वसंत कुंज फ्लाईओवर के पास) को जोड़ने वाली मौजूदा गुड़गांव-महरौली सड़क।
14. ग्वाल पहाड़ी मंडी गदईपुर-जौनपुर सड़क का अंधेरिया मोड़, दिल्ली तक उन्नयन करना

अनुबंध-9.2.11/I

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की ऋण सहायता प्राप्त अवसंरचना परियोजनाओं की सूची (मार्च, 2021 तक की स्थिति)

क्रम सं	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	संस्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	जारी ऋण/ सीसी के अनुसार कुल ऋण	जारी ऋण की वास्तविक राशि
	हरियाणा उप-क्षेत्र					
	परिवहन परियोजनाएं					
1	एल/सी सं. 553 पर दिल्ली पलवल मथुरा रेलवे लाइन पर होडल हसनपुर मार्ग पर 2 लेन के आरओबी का निर्माण	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	दिस-12	24.10	13.76	10.88
2	एल/सी सं. 29 पर दिल्ली अम्बाला रेलवे लाइन पर चीनी मिल के समीप सोनीपत पुरखास मार्ग पर 2 लेन आरओबी	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	दिस-12	40.37	16.42	13.21
3	रोहतक जिले में दक्षिणी बाईपास पर राष्ट्रीय राजमार्ग-10 से राष्ट्रीय राजमार्ग-71 तक सड़क का निर्माण	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	दिस-13/ मई-15	27.66	20.75	16.30
4	झज्जर/गुडगांव जिला में झज्जर फारुखनगर-गुडगांव मार्ग को चार लेन का मार्ग बनाना	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	दिस-13/ जन-16	115.11	86.33	59.53
5	रेवाडी प्रभाग (हेलीमंडी से पहलावास मार्ग, कोसली - गुरयानी से पहलावास राष्ट्रीय राजमार्ग-71 और दहिना-जातुसाना मार्ग) में 3 मार्गों को उन्नत दर्जे का बनाना	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	दिस-13 / मई- 15	83.53	62.65	28.26
6	रोहतक जिले में लखनमाजरा मैहम रोड पर एलसी 79 पर दिल्ली भटिंडा रेलवे लाइन पर 4 लेन आरओबी का निर्माण करना	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	जन-16	56.04	23.15	19.26
7	पानीपत जिले में दिल्ली वाटर कैरियर लिंक के साथ एल/सी सं 54 पर जींद पानीपत सेक्शन (66/9-10) क्रासिंग रोड पर 2 लेन आरओबी का निर्माण	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	जन-16	32.58	11.18	9.47

क्रम सं	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	संस्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	जारी ऋण/ सीसी के अनुसार कुल ऋण	जारी ऋण की वास्तविक राशि
8	पानीपत जिले में एलसी सं 55 पर जींद-पानीपत सेक्शन में (67/10-11) पानीपत काबली रोड पर 2 लेन आरओबी का निर्माण	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	जन-16	29.46	11.29	9.52
9	हिसार, डाबरा चौक में हिसार सदलपुर रेलवे लाइन एवं पुराने डीएचएस क्रासिंग (आरडी 164.60) पर एलसी 3 पर अतिरिक्त 2 लेन आरओबी का निर्माण	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	जन-16	74.67	56.00	22.40
10	रोहतक शहर में छोटू राम चौक से पुराने बस स्टैंड (74.00 से 75.86 किमी) तक रा.रा.10 पर ऐलीवेटेड रोड का निर्माण	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	जन-16	152.83	114.62	45.85
11	दिल्ली के एलसी नं 564 में 2 लेन आरओबी का दिल्ली रेलवे लाइन पलवल जिले में पलवल हसनपुर (रसूलपुर) रोड पर निर्माण	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	नव-17	47.78	23.41	12.45
12	मुम्बई दिल्ली रेलवे लाइन के एलसी नं 561 में दिल्ली पलवल जिले में पलवल बामनी खेड़ा हसनपुर रोड पर 2 लेन आरओबी का निर्माण	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	नव-17	48.88	22.06	19.98
13	सोनीपत जिले में आईटीआई चौक से सफियाबाद गांव से सोनीपत जिले सीमा तक 2.310 से 14.800 तक मौजूदा सोनीपत-रथधना नरेला रोड का उन्नयन, सोनीपत	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	नव-17	101.81	76.36	60.54
14	रेवाड़ी-नारनौल रोड से रेवाड़ी झज्जर से रेवाड़ी दादरी रोड और रेवाड़ी मोहिन्द्रगढ़ रोड के माध्यम से 3 रोड सहित लिंक रोड का निर्माण आरओबी (प्रस्तावित बाय-पास), रेवाड़ी	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	नव-17	176.00	132.00	92.80
15	सोनीपत जिले में आने वाली पश्चिमी यमुना नहर (डब्ल्यूवाईसी) के किनारों के साथ साथ हरेवेली के निकट घोघरीपुर से हरियाणा-दिल्ली सीमा तक 2 लेन की राहत सड़क का निर्माण।	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	जून-19	200.00	150.00	75.00

क्रम सं	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	संस्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	जारी ऋण/ सीसी के अनुसार कुल ऋण	जारी ऋण की वास्तविक राशि
16	नूह जिले में कोटा खंडेवाला तक 0.00 से लेकर 12.20 किमी. तक तावडू सराय रोड को चौड़ा और मज़बूत करना|	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	मार्च-20	32.51	24.38	14.63
17	नूह जिले में 0.00 से लेकर 09.83 किमी. तक पुन्हाना शिकरावा रोड को चौड़ा करना, उसे मज़बूत करना और उसे पुन: निर्मित करना|	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	मार्च-20	31.90	23.92	14.35
18	नूह जिले में 0.00 से लेकर 11.30 किमी. तक पुन्हाना कोट रोड को चौड़ा करना, उसे मज़बूत करना और उसे पुन: निर्मित करना|	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	मार्च-20	42.88	32.16	19.30
19	पलवल और नूह जिले में 4 लेन बनाने/ऊंचा करने/सीसी पेवमेंट बनाने/मज़बूत करने के माध्यम से पलवल हाथिन उटावर रोड (एमडीआर-135) में सुधार (लंबाई 22.400 किमी.)|	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	मार्च-20	73.81	55.36	22.14
20	फरीदाबाद जिले में 3 किमी. से (बाई पास रोड) 14.96 किमी. तक (केजीपी पर इंटरचैंज) बल्लबगढ़ छैनसा मोहना रोड पर विभाजित कैरेजवे प्रदान करने के माध्यम से केजीपी एक्सप्रेसवे के साथ फरीदाबाद नगर की संपकेता में सुधार|	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	मार्च-20	73.06	54.79	21.91
21	सोनीपत से गनौर सड़क को कामी (0.00 से 13.600 किमी) के माध्यम से जीटी रोड (एनएच -44) से लालेहरी-लासौली (किमी 0.00 से 4.63) के लिंक के साथ मौजूदा सड़क को चौड़ा और मजबूत करके उन्नयन।	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	28-09-20	22.46	16.84	3.00
22	रेवाड़ी जिले में मौजूदा रेवाड़ी-शाहजहांपुर सड़क (एसएच-15) (आईडी 1447) के किमी 6.42 से 22.42 तक चौड़ीकरण (7 मीटर से 10 मीटर) और 22.42 किमी से 26.62 तक सुदृढ़ीकरण प्रदान करके सुधार (आईडी 1447)	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	28-09-20	42.14	31.61	5.61

क्रम सं	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	संस्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	जारी ऋण/ सीसी के अनुसार कुल ऋण	जारी ऋण की वास्तविक राशि
23	4-लेनिंग प्रदान करके सुधार (i) रेवाड़ी जिले (ओडीआर वीटी) (आईडी 9957) में किलोमीटर 1.60 से 10.91 तक मौजूदा रेवाड़ी बावल सड़क का सीसीपी (आईडी 9957) (ii) रेवाड़ी जिले (ओडीआर वीटी) (आईडी 1449) में किमी 11 से 12.75 तक मौजूदा रेवाड़ी बावल सड़क का सीसीपी	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	28-09-20	42.51	31.88	5.88
24	रेवाड़ी जिले में मौजूदा कुंड खोल मंडोला सड़क को 0.00 किमी से 18.82 तक चौड़ा करने (5.50 मीटर से 7 मीटर) और सुदृढ़ीकरण प्रदान करके सुधार (आईडी 1606)	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	28-09-20	42.20	31.65	6.33
				1614.29	**1122.57**	**608.60**
	सीवरेज क्षेत्र की परियोजनाएं					
25	गन्नौर शहर, जिला सोनीपत में एमबीबीआर प्रौद्योगिकी के आधार पर मौजूदा 7 एमएलडी एसटीपी का तृतीयक उपचार और क्लोरिनेशन के बाद नवीकरण	पीएचईडी, हरियाणा	नव-17	5.64	4.08	1.23
26	खरखोदा शहर, जिला सोनीपत एमबीबीआर प्रौद्योगिकी के आधार पर मौजूदा 4.5 एमएलडी एसटीपी का तृतीयक उपचार और क्लोरिनेशन के बाद नवीकरण	पीएचईडी, हरियाणा	नव-17	4.54	3.26	0.98
27	एमबीबीआर तकनीक पर आधारित मौजूदा 5 एमएलडी एसटीपी का उन्नयन और नवीनीकरण और तृतीयक उपचार	पीएचईडी, हरियाणा	नव-17	7.14	5.19	1.56
28	मौजूदा 5.5 एमएलडी एसटीपी और 5 एमएलडी एसटीपी (एमबीबीआर प्रौद्योगिकी) के उन्नयन के बाद क्रमशः कोस्ली रोड और साम्पला रोड पर तृतीयक उपचार और क्लोरिनेशन के साथ कुछ शेष पाइपलाइन बिछाने का कार्य, झज्जर	पीएचईडी, हरियाणा	नव-17	11.00	7.91	2.37

क्रम सं	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	संस्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	जारी ऋण/ सीसी के अनुसार कुल ऋण	जारी ऋण की वास्तविक राशि
29	पलवल जिले के होडल शहर में एनजीटी दिशानिर्देशों को लागू करने हेतु बची हुई कॉलोनियों और नई अनुमोदित उपनिवेशों में सीवरेज नेटवर्क और नालियों की टैपिंग	पीएचईडी, हरियाणा	नव-17	4.66	3.50	1.05
30	कलानूर शहर में हाल ही में अनुमोदित कॉलोनियों और बचे हुए क्षेत्रों में सीवरेज योजना और एमबीबीआर प्रौद्योगिकी पर आधारित मौजूदा 3.5 एमएलडी एसटीपी का नवीनीकरण और तदुपरांत रोहतक जिले के कलानूर शहर में तृतीयक उपचार और क्लोरीनेशन	पीएचईडी, हरियाणा	नव-17	8.26	6.19	1.86
31	सांपला शहर में हाल ही में अनुमोदित कॉलोनियों और बचे हुए क्षेत्रों में सीवरेज योजना और एमबीबीआर प्रौद्योगिकी पर आधारित 4 मौजूदा एमएलडी एसटीपी का उन्नयन और नवीनीकरण तदुपरांत रोहतक जिले में सांपला शहर में तृतीयक उपचार	पीएचईडी, हरियाणा	नव-17	7.93	5.95	1.78
32	तृतीयक उपचार के साथ मौजूदा एसटीपी में संशोधन, एसटीपी सोहना से नूह नाला तक गंदा पानी निपटान और बची हुई अनुमोदित कॉलोनियों के लिए सीवरेज सिस्टम के साथ सोहना शहर की नालियों की टेपिंग	पीएचईडी, हरियाणा	नव-17	13.66	10.24	3.07
33	बेरी शहर की शेष अनुमोदित कॉलोनियों में सीवरेज प्रणाली प्रदान करना और झज्जर जिले के बेरी में मौजूदा पानी स्थिरीकरण तालाब के आधार पर बने 2 एमएलडी एसटीपी के स्थान पर एसबीआर प्रौद्योगिकी के आधार पर 2.6 एमएलडी एसटीपी का निर्माण, क्लोरिनेशन	पीएचईडी, हरियाणा	नव-17	9.28	6.96	2.09
				72.10	**53.27**	**15.98**

क्रम सं	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	संस्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	जारी ऋण/ सीसी के अनुसार कुल ऋण	जारी ऋण की वास्तविक राशि
	विद्युत क्षेत्र परियोजनाएं					
34	यूएचबीवीएन द्वारा हरियाणा के झज्जर, रोहतक, पानीपत और सोनीपत सर्किलों में (आईपीडीएस के तहत) मीटरिंग समेत सब-ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण	यूएचबीवीएन	नव-17	19.74	5.93	4.15
				19.74	**5.93**	**4.15**
	हरियाणा उप योग			**1706.13**	**1181.77**	**628.73**
	उत्तर प्रदेश उपक्षेत्र					
	परिवहन सेक्टर परियोजनाएँ					
35	नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा (29.707 किमी) के मध्य मेट्रो संपर्कता परियोजना	एनएमआरसी	जन-16	5503.00	1587.00	1430.00
				5503.00	**1587.00**	**1430.00**
	जल क्षेत्र परियोजनाएँ					
36	डब्ल्यूटीपी साइट से मास्टर जलाशय तक पल्ला (ग्रेटर नोएडा) निमेल जल मेन पर देहरा (गाजियाबाद) पर इनटेक से डब्ल्यूटीपी साइट तक रॉ वाटर कन्वेंस मेन	जीएनआईडीए	अग-13	183.19	137.39	83.00
37	देहरा (गाजियाबाद) पर प्राथमिक शोधन निर्माण कार्य, पल्ला (ग्रेटर नोएडा) में 210 एमएलडी जल शोधन संयंत्र और इस से सम्बंधित निर्माण कार्य	जीएनआईडीए	अग-13	121.48	87.16	87.16
				304.67	**224.55**	**170.16**
	उ.प्र. उप योग			**5807.67**	**1811.55**	**1600.16**
	राजस्थान उप क्षेत्र					
	जल क्षेत्र					
38	अल्वर जल आपूर्ति उन्नयन परियोजना	पीएचईडी, राजस्थान	अग/अक्ट-2013	174.86	131.14	94.72
39	तिजारा जल आपूर्ति उन्नयन परियोजना	पीएचईडी, राजस्थान	अग/अक्ट-2013	16.46	12.35	9.19
40	राजगढ जल आपूर्ति उन्नयन परियोजना	पीएचईडी, राजस्थान	अग/अक्ट-2013	20.24	15.18	10.96

क्रम सं	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	संस्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	जारी ऋण/ सीसी के अनुसार कुल ऋण	जारी ऋण की वास्तविक राशि
41	बहरोड़ जल आपूर्ति उन्नयन परियोजना	पीएचईडी, राजस्थान	अग/अक्ट-2013	26.02	19.51	14.49
42	भिवाड़ी जल आपूर्ति उन्नयन परियोजना	पीएचईडी, राजस्थान	अग/अक्ट-2013	40.69	30.52	30.52
43	पीएचईडी, राजस्थान से शहरी जल आपूर्ति योजना खैरथल, अलवर जिले का पुनर्गठन	पीएचईडी, राजस्थान	नव-17	36.26	27.19	14.00
44	पीएचईडी, राजस्थान से शहरी जलापूर्ति योजना किशनगढ़ बेस, अलवर जिले का पुनर्गठन	पीएचईडी, राजस्थान	नव-17	21.06	15.78	13.64
				335.59	**251.67**	**187.52**
	परिवहन क्षेत्र					
45	बारोड पर शाहजहांपुर रोड सीसी के विलेज पोर्शन में 0/0 से 9/900, 10/750 से 14/600 और 15/400 से 16/400 (एमडीआर-206) का उन्नयन सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	22.78	17.08	15.37
46	एनएच-8 से पहाड़ी किलोमीटर 0/0 से 11/100 तक) उन्नयन सुदृढ़ीकरण और विकास पुनर्निर्माण कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	15.44	11.58	10.42
47	बेहरोड़ से भुमरिका रोड पर किलोमीटर 0/0 से 12/0 तक उन्नयन, सुदृढ़ीकरण, विकास और पुन: निर्माण कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	13.51	10.13	9.12
48	हरसोली-रामनगर-मिर्का-बासक्रिपालनगर-किशनगढ़बास-मोथुका-थानाघाउदा-मुबारिकपुर रोड का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	56.48	42.36	38.13
49	तातारपुर चौराहा-शेओपुर खानपुर अहिर जाटभगोला अलीपुर रोड किलोमीटर 0/0 से 36/500 तक सुदृढ़ीकरण और विकास और पुन: निर्माण कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	49.30	36.97	33.27
50	पदिसल-जगता बसई-रट्टा खुर्द-बालनबसई-श्यामका-इस्माइलपुर-गंज-किशनगढ़बास सड़क	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	25.68	19.26	17.34

क्रम सं	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	संस्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	जारी ऋण/ सीसी के अनुसार कुल ऋण	जारी ऋण की वास्तविक राशि
51	प्रतापगढ़-अजबगढ़-बुर्ज तिराया रोड किलोमीटर 0/0 से 25/0 (एसएच-77) का विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	34.59	25.94	23.34
52	अलवर से मत्स्य विश्वविद्यालय, हलदेना वाया मदनपुरी भजीत नंगला चरण सड़क का उन्नयन (3.75मी से 7मी कैरिजवे)	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	17.62	13.21	11.88
53	अलवर शहर में विभिन्न सड़कों पर उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	34.60	25.95	23.36
54	3 से 7 मीटर तक 0/0 से 7/0 (गोविंदगढ़ से शेमला खुर्द) तक सुदृढ़ीकरण, विस्तार और उन्नयन	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	8.45	6.33	5.70
55	किलोमीटर 0/0 से 12/0 (बड़ौदामेओ गंधुरा लक्ष्मणगढ़) से 3.75 मी से 7.0मी तक सुदृढ़ीकरण, विस्तार व उन्नयन	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	15.88	11.91	10.72
56	विजय मंदिर अलवर के घाटला-पदिसल और हरसोली रोड वाया खैरथल रोड का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य।	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	42.42	31.81	28.63
57	दौसा तहला सरिस्का रोड एसएच-29ए पर 5.50 मीटर से 7.0 मीटर तक कि.मी. 8/00 से 38/00 तक सुदृढ़ीकरण और चौड़ाई का कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	18.31	13.73	12.36
58	दौसा-कुंडल-गुधा कटला बांदीकुई-बालाहेरी-मांडवार-घोरसराना-कथुमार रोड कि.मी. 74/00 से 102/00 एसएच-78 (पुराना एमडीआर-48) पर उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य।	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	31.42	23.56	21.20
59	तहला मच्छारी रोड एसएच-25ए कि.मी. 0/0 से 23/500 पर मौजूदा पुलिया को चौड़ा करना और सुदृढ़ीकरण	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	8.12	6.09	5.48
60	तेहला राजगढ़ गढ़ी सवईराम रोड एसएच-25ए पर 5.50 मीटर से 7.0 मीटर, 0/0 से 4/500 तक 3.00 मीटर से 7.0/500 तक 3.0 मीटर से 7.0 मीटर तक 26/300 और 32/400 का सुदृढ़ीकरण और चौड़ा करना	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	10.61	7.95	7.16

क्रम सं	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	संस्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	जारी ऋण/ सीसी के अनुसार कुल ऋण	जारी ऋण की वास्तविक राशि
61	रेनी-माछरी रोड से गुज़रते हुए रोहड़ा से बाराभडकोल तक 76/0 कि.मी. से 90/0 (एमडीआर-151) तक उन्नयन, सुदृढ़ीकरण नवीनीकरण और विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	18.88	14.16	12.74
62	गोथ की चौकी बिगोटा रोड किलोमीटर 0/0 से 21/0 का उन्नयन, उसका सुदृढ़ीकरण और उसका विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	14.87	11.15	10.04
63	घाट के राजपुर बाड़ा वाया देवती कि.मी. 0/0 से 10/800 का उन्नयन, उसका सुदृढ़ीकरण और उसका विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	14.87	11.15	10.04
64	राजगढ़ से करोथ रोड कि.मी. 0/0 से 3/0 तक उन्नयन, उसका सुदृढ़ीकरण बनाना और उसका विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	5.74	4.30	3.87
65	3.0 मीटर से 7.0 मीटर किलोमीटर 0/0 से 3/0 (ए/आर से बलदेवगढ़) तक सुदृढ़ीकरण, चौड़ा करना और उन्नयन	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	5.30	3.97	3.57
66	0 0 से 2/0 (तिलवाड़ से तिलवाडी) तक 3.0 मीटर से 7.0 मीटर तक सुदृढ़ीकरण, चौड़ा करना और उन्नयन	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	3.54	2.65	2.39
67	3 मीटर से 7 मीटर कि.मी. 0/0 से 3/500 (एसएच-29ए से थाना) तक सुदृढ़ीकरण, चौड़ा करना और उन्नयन	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	6.12	4.59	4.13
68	किलोमीटर 0/0 से 3/500 (ए/आर से घटरा) तक 3.0 मीटर से 7.0 मीटर तक सुदृढ़ीकरण, चौड़ा करना और उन्नयन	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	6.17	4.62	4.16
69	कि.मी. 0/0 से 3/300 (पालपुर से कंकराली रामपुर तक) 3.0 मीटर से 7.0 मीटर तक सुदृढ़ीकरण, चौड़ा करना और उन्नयन	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	5.84	4.38	3.94
70	कि.मी. 0/0 से 1/900 (ए/आर से भानगढ़) तक 3.0 मीटर से 7.0 मीटर तक सुदृढ़ीकरण, चौड़ा करना और उन्नयन	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	2.83	2.12	1.91

क्रम सं	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	संस्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	जारी ऋण/ सीसी के अनुसार कुल ऋण	जारी ऋण की वास्तविक राशि
71	कि.मी. 0/0 से 1/900 (ए/आर से भानगढ़) तक 3.0 मीटर से 7.0 मीटर तक सुदृढ़ीकरण, चौड़ा करना और उन्नयन	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	2.83	2.12	1.91
72	किलोमीटर 0/0 से 12/0 (खेरली से उदयपुरा), 5.5 मीटर से 7.0 मीटर तक सुदृढ़ीकरण, चौड़ा करना और उन्नयन	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	13.30	9.97	8.97
73	किलोमीटर 0/0 से 12/0 (खेरली से भानोकार) तक 5.5 मीटर से 7.0 मीटर तक सुदृढ़ीकरण, चौड़ा करना और उन्नयन	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	15.87	11.90	10.71
74	एलनपुर-बंसूर-प्रतापगढ़-ढोला ताला रोड किमी 25/0 से 70/0 (एसएच-52) का विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	69.09	51.81	46.62
75	रामगढ़-गोविंदगढ़-सीकरी नगर रोड एसएच-45 8/825 से 27/745 तक (जिला सीमा खंड तक छिदवाई-गोविंदगढ़) उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	29.70	22.27	20.04
76	थानागाज़ी प्रतापगढ़ ढोला ताला रोड किलोमीटर 99/0 से 120/200 का विकास	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	28.87	21.65	19.49
77	नटनी का बाड़ा मलखेड़ा-लक्ष्मणगढ़ कथुमार रोड (कथुमार बाई पास 0/00 किलोमीटर से 1/400 तक सम्मिलित) 25/0 किमी. से 61/0 एसएच-44 (चिमरावली-मौजपुर-लक्ष्मणगढ़-खुदीयान बरेटा कथुमार खंड तक) तक उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य,	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	41.16	30.87	27.78
78	महुवा-मांडवार-गढ़ी-सवाई राम-लक्ष्मणगढ़-गोविंदगढ़ रोड एसएच-35 60/000 किमी से 70/0 तक (लक्ष्मणगढ़-जलुकी-गोविंदगढ़ खंड) तक उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	14.21	10.65	9.59

क्रम सं	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	संस्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	जारी ऋण/ सीसी के अनुसार कुल ऋण	जारी ऋण की वास्तविक राशि
79	हरसोली-बीबीराणी-कोटकासिम-बुद्धबावल-तापुकरा रोड 45/0 किलोमीटर से 57/200 तक, 62/900 से 64/500 तक और 74/0 से 76/200 पर उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	23.99	17.99	16.19
80	कोटकासिम लाडपुर-तिजारा फिरोजपुर झिरका जिला सीमा 6/0 किलोमीटर से 40/0 तक उन्नयन, सुदृढ़ीकरण व विकास	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	48.33	36.24	32.61
81	अलीपुर-खेड़ी-खानपुर दग्रेन-पूर-निमलका-कालगांव-हिंगवाहेड़ा-तिजारा-फिरोजपुर-जिको रोड का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण व विकास	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	34.00	25.50	7.65
82	तापुकरा मिलकपुर पर 0/0 किमी. से 7/500 तक उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास और पुन: निर्माण कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	नव-17	13.96	10.47	9.42
				824.68	**618.39**	**541.25**
	विद्युत क्षेत्र					
83	एनसीआर के राजस्थान उप क्षेत्र में नई पारेषण परियोजनाएं-अलवर जिले में बहादुरपुर, टेल्को सर्कल और खैरथल स्थित 132 केवी जीएसएस के वित्तपोषण के लिए नया प्रस्ताव|	आरआरवीपीएन लिमिटेड	जून, 19	43.70	32.78	26.30
84	एनसीआर के राजस्थान उप क्षेत्र में नई पारेषण परियोजनाएं - अलवर जिला करोली में उप-स्टेशन और सीकरी (जय श्री) जिला भरतपुर में स्टेशन निर्माण	आरआरवीपीएन लिमिटेड	28-09-20	31.58	23.68	0.00
				75.28	**56.46**	**26.30**
	राजस्थान उप योग			**1235.55**	**926.52**	**755.07**
	दिल्ली उप क्षेत्र					
	अन्य					
85	ईडीएमसी द्वारा शाहदरा दक्षिण जोन में कडकडडूमा संस्थात्मक क्षेत्र में बहु-मंजिले कार्यालय भवन का निर्माण	ईडीएमसी	दिस-13	101.65	76.24	20.00
				101.65	**76.24**	**20.00**

क्रम सं	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	संस्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	जारी ऋण/ सीसी के अनुसार कुल ऋण	जारी ऋण की वास्तविक राशि
	दिल्ली उप योग			**101.65**	**76.24**	**20.00**
	काउंटर मैग्नेट क्षेत्र					
	मध्य प्रदेश में परियोजनाएं - सीएमए एसएडीए ग्वालियर					
	भूमि विकास परियोजनाएं					
86	एसएडीए, ग्वालियर में आवासीय स्कीमों का अवसंरचनात्मक विकास	एसएडीए ग्वालियर	नव-09	76.07	42.05	31.54
	जल क्षेत्र की परियोजनाएँ					
87	ग्वालियर शहर के लिए जलापूर्ति योजना का विकास	ग्वालियर नगर निगम	जुलाई-18	398.45	298.84	0.00
	सीएमए ग्वालियर उप योग			**474.52**	**340.89**	**31.54**
	राजस्थान में परियोजनाएं - सीएमए जयपुर					
	सीवरेज					
88	जयपुर शहर, जेडीए में क्षेत्रीय विकास सहित अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) का पुनुरुत्थान	जेडीए	जन-17	1582.06	1098.00	1059.00
	परिवहन क्षेत्र की परियोजना					
89	जयपुर में जेपी-डीएलआई रेलवे लाइन पर एल/सी-211, गोनर रोड, डांतली पर विद्युतीकरण कार्य सहित सीमित ऊँचाई सबवे (एलएचएस) के साथ 6 लेन आरओबी का निर्माण	जेडीए	जन-17	65.00	21.97	21.97
90	जयपुर में पंचायत भवन/ एसबीबीजे बैंक से अंबाबरी टी-जंक्शन तक, मौजूदा झोतवाड़ा आरओबी के समानांतर, 3 लेन आरओबी का निर्माण	जेडीए	जन-17	166.73	118.87	49.00
91	जेपी-एसडब्ल्यूएम रेलवे लाइन पर एलसी-70 सीतापुर के स्थान पर 6 लेन आरओबी का निर्माण	जेडीए	जन-17	92.00	48.92	48.92
92	एलसी-200, बस्सी टाउन, जयपुर के स्थान पर एलएचएस के साथ 4 लेन आरओबी का निर्माण	जेडीए	जन-17	48.30	27.38	27.38

क्रम सं	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	संस्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	जारी ऋण/ सीसी के अनुसार कुल ऋण	जारी ऋण की वास्तविक राशि
93	जयपुर में जयपुर से सीकर रेलवे लाइन पर एलसी-102/2ई जहोटा के स्थान पर 4 लेन आरओबी का निर्माण	जेडीए	जन-17	42.00	31.50	31.50
94	जयपुर में आनंद लोक और स्वपन लोक को जोड़ने के लिए पुल सं.107 के पास जयपुर-सीकर रेलवे लाइन पर आरओबी का निर्माण	जेडीए	जन-17	12.00	9.00	9.00
95	सोडाला तिकोणीय-जंक्शन से अंबेडकर सर्किल, जयपुर के पास एलआईसी कार्यालय तक जेडीए द्वारा एलीवेटेड रोड का निर्माण	जेडीए	जन-17	225.00	168.75	150.00
	सीएमए शहर जयपुर-परिवहन			**651.03**	**426.39**	**337.77**
	सीएमए शहर जयपुर-उप योग			**2233.09**	**1524.39**	**1396.77**
	पंजाब मे परियोजनाएं - सीएमए पटियाला					
	सीवरेज					
96	पटियाला में इपीसी आधार पर बड़ी नदी और छोटी नदी का कायाकल्प, एसटीपी और ईटीपी का निर्माण और सीवरेज नेटवर्क बिछाना	पीडीए	28-09-20	208.33	152.52	31.25
	सीएमए शहर पटियाला-उप योग			**208.33**	**152.52**	**31.25**
	काउंटर मैग्नेट क्षेत्र - कुल			**2915.94**	**2017.80**	**1459.56**

अनुबंध-9.4.4/I

सीएजी रिपोर्ट के सम्बंध में लेखा परीक्षा टिप्पणियों एवं विभागीय स्थिति का सारांश

2020 की सीएजी रिपोर्ट 3 का पैरा 4.1 - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) की स्थापना (28 मार्च, 1985) एनसीआरपीबी अधिनियम, 1985 (अधिनियम) के तहत की गई थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) एक समन्वित योजना क्षेत्र है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटीडी) और हरियाणा, उत्तर प्रदेश (यूपी) और राजस्थान के सीमावर्ती राज्यों से संबंधित कई जिले शामिल हैं।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्रीय योजना (आरपी) -2021 को अधिसूचित करने में साढ़े तीन साल से अधिक की देरी हुई और आरपी 2021 की पहली समीक्षा डेढ़ साल की देरी के बाद शुरू की गई। एनसीआर घटक क्षेत्रों के लिए उप-क्षेत्रीय योजनाओं के निर्माण में देरी हुई, कार्यात्मक योजनाएँ नहीं बनाई गई और एनसीआर में प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र (एनसीजेड) के निरूपण में देरी हुई। यह देखा गया कि बोर्ड भागीदार राज्यों द्वारा प्रस्तुत मास्टर प्लान की मंजूरी नहीं दे रहा था और एनसीआर में भाग लेने वाले संबंधित राज्य द्वारा उस राज्य में संबंधित कानूनों के तहत भूमि उपयोग में परिवर्तन किया जा रहा था और बोर्ड द्वारा नहीं। वहां विभिन्न स्तरों पर आरपी के कार्यान्वयन के लिए समन्वय और निगरानी अपर्याप्त थी।

एनसीआरपीबी उत्तर :

• क्षेत्रीय योजना (आरपी) - 2021 को सितंबर, 2005 में अधिसूचित किया गया था। एनसीआरपीबी अधिनियम, 1985 इसके संचालन में आने की तारीख से हर पांच साल के बाद क्षेत्रीय योजना के संशोधन का प्रावधान है। क्षेत्रीय योजना-2021 की समीक्षा के लिए प्रक्रिया जून 2009 में शुरू की गई थी, जहां एनसीआर के लिए जीआईएस डेटाबेस के निर्माण और अपडेशन का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे क्षेत्रीय योजना -2021 की समीक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाना था, जिसे 09.06.2009 को 43वें परियोजना निगरानी व मॉनिटरिंग समूह (PSMG) - I के समक्ष रखा गया था। हालाँकि, 2011 के लिए अस्थायी जनसंख्या का आंकड़ा केवल 2012 में उपलब्ध था। तदनुसार, संशोधित योजना क्षेत्रीय योजना -2021 (DRRP-21) को बोर्ड द्वारा 20.01.2014 को और बाद में 25.04.2014 को अनुमोदित किया गया था। हालांकि, एमओईएफ & सीसी से कुछ टिप्पणियों के कारण डीआरआरपी-21 के प्रकाशन को रोक दिया गया था।

• एनसीआरपीबी अधिनियम, 1985 के अनुसार, एनसीआर संघटक राज्यों के लिए उप-क्षेत्रीय योजना (एसआरपी) के निर्माण का उत्तरदायित्व एनसीआर प्रतिभागी राज्यों का है,

जिसमें ऐसे फॉर्मूलेशन के लिए एनसीआरपीबी अधिनियम, 1985 द्वारा कोई विशेष समय रेखा निर्धारित नहीं की गई है। हालाँकि, बोर्ड ने इन उप-क्षेत्रीय योजना की तैयारी के लिए सुविधा और व्यवस्था के लिए कई कदम उठाए हैं। उप-क्षेत्रीय योजना-2021 की तैयारी के लिए अगस्त, 2006 में बोर्ड द्वारा एक विशेष सेमिनार आयोजित किया गया था जिसमें उप-क्षेत्रीय योजना की तैयारी के लिए विस्तृत प्रक्रिया, दिशानिर्देशों और समय सीमा को सहभागी राज्यों द्वारा पालन करने के लिए अंतिम

रूप दिया गया था, बोर्ड राज्यों द्वारा उप-क्षेत्रीय योजना की तैयारी के लिए परामर्श लागत की प्रतिपूर्ति के रूप में धन भी प्रदान करता है।

• बोर्ड द्वारा प्रेरक प्रयासों के कारण यूपी उप-क्षेत्रीय योजना को दिसंबर, 2013 में, 2014 में हरियाणा तथा 2015 में ही राजस्थान को अंतिम रूप दिया गया। इसके अलावा 2015 से नवसृजित सात जिलों के लिए क्षेत्रीय योजना परिशिष्ट भी 2019 में बोर्ड के समक्ष रखा गया। हरियाणा के 4 अतिरिक्त जिलों के लिए उप-क्षेत्रीय योजना पर सितंबर, 2019 में बोर्ड द्वारा विचार किया गया तथा कुछ टिप्पणियों दी गई, राजस्थान के एक अतिरिक्त जिले के लिए उप-क्षेत्रीय योजना पर भी सितंबर, 2019 मे विचार किया गया था और यूपी के दो अतिरिक्त जिलों के उप-क्षेत्रीय योजना को बोर्ड की टिप्पणियों के अनुसार यूपी सरकार द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।

• यह उल्लेखनीय है कि विचार-विमर्श के कारण उप-क्षेत्रीय योजना-दिल्ली में देरी हुई थी कि क्या एमपीडी -2021 को दिल्ली के लिए उप-क्षेत्रीय योजना माना जाए। हालाँकि, मामला आखिरकार हल हो गया है और दिल्ली के लिए उप-क्षेत्रीय योजना अब 22.02.2021 को बोर्ड में प्राप्त हो गया है और 23.02.2021 को आयोजित योजना समिति की 69वीं बैठक में जांच की गई है, जिसमें बोर्ड द्वारा इसकी अगली बैठक मे कुछ टिप्पणियों के अधीन इसपर विचार करने की सिफारिश की गई थी।

• कार्यात्मक योजनाओं के बारे में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि एनसीआरपीबी अधिनियम, 1985 की धारा 16 में भाग लेने वाले राज्यों के उचित मार्गदर्शन के लिए कार्यात्मक योजनाओं को तैयार करने का प्रावधान है। तदनुसार, सितंबर, 2005 में क्षेत्रीय योजना -2021 की अधिसूचना के बाद, बोर्ड ने माइक्रो और हाउस होल्ड एंटरप्राइजेज, एनसीआर के लिए ड्रेनेज, परिवहन, आर्थिक विकास और भूजल रिचार्ज पर पांच कार्यात्मक योजनाएं तैयार की हैं।

• एनसीआर में प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र (NCZ) के बारे में, यह कहा जाता है कि एनसीआरपीबी अधिनियम, 1985 की धारा 10 (ii) में कहा गया है कि क्षेत्रीय योजना उस तरीके को इंगित करेगी, जिसमें एनसीआर में भूमि का उपयोग किया जाएगा, चाहे वह विकास के लिए हो या संरक्षण द्वारा या अन्यथा। तदनुसार, भूमि उपयोग श्रेणियों में से एक के रूप में एनसीजेड को क्षेत्रीय योजना -2021 के प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र पर अस्थायी रूप से सीमांकित किया गया था जिसमें कुछ प्रमुख प्राकृतिक विशेषताएं/क्षेत्र शामिल थे। क्षेत्रीय योजना-2021 को नेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इमैजरीज 1999 के माध्यम से तैयार किया गया था, जिसमें सीमित ग्राउंड ट्रूटिंग था, जिसमें एनसीजेड को अस्थायी रूप से चिह्नित किया गया था। हालाँकि, क्षेत्रीय योजना-2021 प्रावधानों के अनुसार, एनसीज़ेड सहित भूमि उपयोग के विवरणों को एनसीआर प्रतिभागी राज्यों द्वारा उप-क्षेत्रीय योजना, मास्टर / विकास योजनाओं आदि की तैयारी के दौरान विस्तार दिया जाना है। क्षेत्रीय योजना-2021 की समीक्षा के दौरान, एनआरएससी के उपग्रह इमेजरीस ने भूमि उपयोग में भिन्नता दिखाई और इसलिए, एनसीआर प्रतिभागी राज्यों को नोटिस जारी किए गए।

• 2013 में तैयार यूपी उप-क्षेत्र के उप-क्षेत्रीय योजना 2021 में दिए गए एनसीजेड परिसीमन को बोर्ड द्वारा माना गया है। इसके अलावा राजस्थान उप-क्षेत्र के अलवर जिले के लिए एनसीजेड परिसीमन भी

23.02.2021 को 69वीं योजना समिति द्वारा प्राप्त किया गया है और इसकी अगली बैठक में बोर्ड द्वारा विचार के लिए सिफारिश की गई है। यह समझा जाता है कि हरियाणा ने भी ग्राउंड ट्रूथिंग का काम किया है और जल्द ही उनके एनसीज़ेड प्रस्ताव की उम्मीद है। इसी तरह एनसीटी-दिल्ली में एनसीजेड को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी है।

• मास्टर/ विकास योजनाओं की गैर-मंजूरी के संबंध में, जनवरी/अप्रैल, 2018 में हमारे जवाब में दिए गए बोर्ड और मंत्रालय की प्रतिक्रिया को दोहराया जाता है। उत्तर में दिए गए तथ्य सही हैं कि एनसीआरपीबी अधिनियम, 1985 में मास्टर/विकास योजना के संबंध में कोई विशेष प्रावधान नहीं हैं और इसलिए क्षेत्रीय योजना-2021 ने बोर्ड द्वारा मास्टर प्लान के अनुमोदन के लिए एक विशिष्ट प्रावधान को शामिल करने की मांग की थी, जो अंततः भाग लेने वाले राज्यों में से कुछ के आपत्तियों के कारण शामिल नही किया जा सका। यह भी कहा गया है कि राजस्थान ने बोर्ड को परीक्षा और अनुमोदन के लिए मास्टर प्लान प्रस्तुत किया था क्योंकि राजस्थान उन राज्यों में से नहीं था, जिन्होंने उपरोक्त प्रस्तावित प्रावधानों का विरोध किया था। यह आगे कहा गया है कि अधिनियम की धारा 29 (i) यह प्रदान करती है कि अंतिम रूप से प्रकाशित क्षेत्रीय योजना के संचालन में आने के बाद से उन क्षेत्रों में कोई विकास नहीं किया जाएगा जो अंततः प्रकाशित क्षेत्रीय योजना में असंगत हैं। यह उल्लेखनीय है कि एनसीआरपीबी अधिनियम, 1985 की धारा 27 (i) इस अधिनियम के अलावा किसी भी कानून के प्रभाव में लागू होने या किसी भी कानून में निहित किसी भी अन्य कानून में निहित किसी भी चीज के बावजूद अधिनियम को ओवरराइडिंग प्रभाव प्रदान करती है। मास्टर / डेवलपमेंट प्लान की मंजूरी के मामले पर 2005 में मांगी गई विधि मंत्रालय की राय का अभी भी इंतजार है। हालांकि, एनसीआर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग सेल 1987 में हर एनसीआर प्रतिभागी राज्य में बनाया गया था, उसे समन्वय की कई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिसमें क्षेत्रीय योजना-21 के प्रावधानों का उल्लंघन शामिल है।

• विभिन्न स्तरों पर क्षेत्रीय योजना का उचित समन्वय और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड द्वारा सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, समन्वय और निगरानी में और सुधार की गुंजाइश है।

वार्षिक लेखा

2020-21

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

कोर-IV बी, प्रथम तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

वैबसाइट: www.ncrpb.nic.in

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार

(विषय सूची)

क्र.सं.	संक्षिप्त विवरणिका	पृष्ठ सं.
1	लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र	i-iv
2	तुलन पत्र	1
3	आय और व्यय लेखा	2
4	प्राप्तियां एवं भुगतान	3
5	अनुसूची 1 से 16	4 - 13
6	31.03.2021 को बनाए गए तुलन-पत्र में संलग्न महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (अनुसूची-17)	14 - 17
7	31.03.2021 को बनाए गए तुलन-पत्र के गये खातों पर आकस्मिक देयताएं पर टिप्पणी (अनुसूची - 18)	18 – 22

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Trust in Public Interest

संख्या / No.

गोपनीय

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग,
कार्यालय, महानिदेशक लेखापरीक्षा (इन्फ्रास्ट्रक्चर), दिल्ली
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
(INFRASTRUCTURE), DELHI

दिनांक / Dated

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड
नई दिल्ली-110011

विषय-वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB) के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मै इस पत्र के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB) के वर्ष 2020-21 के सत्यापित लेखाओं की प्रति तथा उन पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के पटल पर रखने के लिए अग्रेषित कर रही हूँ।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहलें वार्षिक लेखों को शासी निकाय (Governing body) को नियमानुसार प्रस्तुत किया जाए।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेजों की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किए गये थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

भवदीया

हस्ता0
(विधु सूद)
प्रधान निदेशक
दिनाँकः- 2/12/21

संख्याः- PDA/Infra/IHQ-I/27-68/21-22/243
प्रतिलिपिः-

1. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB), प्रथम तल, कोर-IV-B, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, को पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न की जा रही है।

(विधु सूद)
प्रधान निदेशक

तृतीय तल, ए-स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002
3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, I. P. Estate, New Delhi-110002
दूरभाष/Tele.: 011-23378473, फैक्स/Fax : 011-23378432, 011-23370871
E-mail : pdainfradl@cag.gov.in

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of National Capital Region Planning Board for the year ended 31 March 2021

We have audited the attached Balance Sheet of National Capital Region Planning Board (NCRPB) as at 31 March 2021 and Income and Expenditure Account / Receipt and Payment Account for the year ended on that date under section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 25 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985. These financial statements are the responsibility of the NCRPB's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (propriety and regularity) and efficiency-cum-performance aspects etc., if any, are reported through Inspection Report / CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

(i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

(ii) The Balance Sheet and Income and Expenditure Account / Receipt and Payment Account dealt with by this report have been drawn up in the format prescribed by the Ministry of Finance.

(iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the National Capital Region Planning Board as required under Rule 33 (1) and (2) of the National Capital Region Planning Board Rules, 1985 in so far as it appears from our examination of such books.

(iv) We further report that

Grants-in-Aid

During 2020-21, NCRPB has received Grants-in-Aid of Rs. 35 crore (Contribution / Capital) and Rs. 4.93 crore (Salary and General). NCRPB utilized the entire Grants-in-Aid of Rs. 39.93 crore received during the year (as per Utilization Certificates submitted by the Management).

(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income & Expenditure Account / Receipt & Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Separate Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India;

(a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the National Capital Region Planning Board as at 31 March 2021; and

(b) In so far as it relates to Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

Place: New Delhi
Dated: 2 December 2021

(Vidhu Sood)
Principal Director of Audit (Infrastructure)
New Delhi

Annexure to Separate Audit Report
(on the annual accounts of National Capital Region Planning Board for the year ended on 31 March 2021)

1. Adequacy of Internal Audit System

Internal Audit Report for the period October 2020 to March 2021 has not been provided to Audit.

2. Adequacy of Internal Control System

Internal control needs to be further strengthened, especially in regard of the following:

(i) No Audit Committee has been formed by NCRPB.

(ii) There is no approved Whistle Blower Policy in NCRPB.

(iii) There is no operational, financial and accounting manual or standard operating procedures for effective accounting and control.

(iv) During the year 2020-21, only one meeting of NCRPB Board was held inspite of NCRPB Rules, 1985, prescribing for atleast once in every six months.

3. System of Physical Verification of Fixed Assets

The sanction orders of Grants-in-aid received by NCRPB states that NCRPB should maintain in a register in Form GFR – 22 a record of the permanent and semi-permanent assets acquired wholly or mainly out of the Government funds. The register should be maintained separately in respect of the financial assistance sanctioned by the Ministry of Housing and Urban Affairs. The sanction orders also states that such assets should not be disposed of, encumbered or utilized for purposes other than those for which the amount was given without the prior permission of Ministry of Housing and Urban Affairs. However, no such classification was made and assets procured from Government assistance were not separately shown in the Fixed Asset register. In absence of such a classification, audit could not ascertain if any asset bought from Government assistance was disposed without prior permission of the Ministry or not.

4. System of Physical Verification of Inventory

During the year 2020-21, physical verification of NCR Books and publications was carried out by a committee formed by the management. The committee in its report stated that the closing balances indicated in the NCR publication Stock Register was found to be in order.

5. Regularity in payment of Statutory Dues

NCRPB is regular in payment of statutory dues.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(राशि रुपये में)

विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
कॉर्पस/पूंजीगत निधि और देयताएं			
रा.रा.क्षे.यो.बो. निधि (कोष / पूंजी निधि)	1	59,493,866,473	55,631,038,751
विशेष आरक्षित	2	0	0
निर्धारित/बंदोबस्ती (एडोमेंटकोष)	3	1,400	1,400
सुरक्षित ऋण	4	9,057,546,108	0
असुरक्षित ऋण	5	0	9,923,753,993
स्थगित ऋण देयताएं		0	0
चालू देयताएं और प्रावधान	6	601,757,825	584,925,295
कुल		**69,153,171,806**	**66,139,719,439**
परिसंपतियां			
अचल परिसंपत्तियां	7	5,229,551	5,844,324
भविष्य निधि/एनपीएस का निवेश	8	498,555,545	323,227,451
निवेश - एनसीआरटीसी में योगदान	9	50,000,000	50,000,000
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	10	68,599,386,710	65,760,647,664
विविध व्यय (बट्टे खाते न डाली गई या समायोजित न की गई मात्रा तक)			
योग		**69,153,171,806**	**66,139,719,439**
महत्वपूर्ण लेखा प्रणाली नीतियां	17		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	18		

ह./-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह./-
निदेशक (प्र. एवं वित्त)

ह./-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(राशि रुपये में)

आय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
बिक्री/सेवाओं से आय		0	0
अनुदान/इमदाद (योगदान)		तुलन पत्र में अंतरित	तुलन पत्र में अंतरित
अनुदान/इमदाद (वेतन और सामान्य)		49,300,000	51,000,000
शुल्क और अभिदान		-	-
निवेश द्वारा निर्धारित / बंदोबस्ती निधियों से आय		-	-
रा.रा.क्षे. प्रकाशनों की बिक्री से आय		-	1,125
अर्जित ब्याज	11	4,081,426,090	4,250,677,074
अन्य आय	12	16,743,687	31,813,695
तैयार माल के स्टाक में वृद्धि/कमी और कार्य में प्रगति		(581)	(601)
योग (क)		**4,147,469,196**	**4,333,491,293**
व्यय			
स्थापना व्यय	13	144,429,042	141,123,317
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	14	22,506,464	24,425,182
बाजार ऋण पर व्यय	15	400,292,311	1,048,750,886
मूल्यह्रास अनुसूची -7 के अनुरूप		909,883	1,029,052
अवसंरचना परियोजना हेतु अनुदान पर व्यय			-
कुल (ख)		**568,137,700**	**1,215,328,437**
व्यय की तुलना में आय से अधिक शेष (क-ख)		**3,579,331,496**	**3,118,162,856**
पूर्व-अवधि व्यय	16	66,503,774	5,757,516
बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व (बीआरआर) में अंतरित			
उप योग		**66,503,774**	**5,757,516**
व्यय की तुलना में आय की निपल अधिकता रा.रा.क्षे.यो.बो. निधि में अंतरित		**3,512,827,722**	**3,112,405,340**
महत्वपूर्ण लेखा प्रणाली नीतियां	17		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	18		

ह./-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह./-
निदेशक (प्र. एवं वित्त)

ह./-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रुपये में)

प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	भुगतान	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
I. आरम्भिक शेष			**I. व्यय**		
क) हाथ में रोकड		0	क) स्थापना व्यय	114,910,356	92,383,017
ख) बचत खाते में शेष	20,826,311	3,085,188,020	(अनुसूची -13 के अनुरूप)		
ग) भविष्य निधि बचत खाते में शेष	114,229	663,470	ख) प्रशासनिक व्यय	22,260,133	30,419,675
घ) नकद व नकद तुल्य	520	1,410	(अनुसूची-14 के अनुरूप)		
उप योग	**20,941,060**	**3,085,852,900**	ग) बाजार उधारी पर व्यय	279,256,168	339,861,013
			(अनुसूची-15 के अनुरूप)		
II) प्राप्त अनुदान			**II. राज्य सरकारों/अभिकरणों (एजेंसियों) को प्रदान किया गया ऋण**	3,469,900,000	7,959,600,000
क) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से योगदान	350,000,000	500,000,000			
ख) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से योगदान राजस्व अनुदान	49,300,000	51,000,000			
III) निवेश पर आय (पीएफ/एनपीएस व सेवानिवृत्ति लाभों निधि)			**III. निवेश व जमा**		
क) बचत खाते पर ब्याज	6,727	35,627	क) सावधि जमा (एफडीआर) में निवेशित राशि	6,639,330,031	2,600,000,000
ख) भविष्य निधि/सेवानिवृत्ति पर ब्याज	11,336,818	29,161,704	ख) भविष्य निधि/एनपीएस/सेवानिवृत्ति लाभ	346,815,442	446,897,606
IV) प्राप्त ब्याज			**IV. अचल संपतियों पर व्यय**		
क) राज्य सरकार/एजेंसियों को दिए ऋण पर ब्याज	3,557,262,476	3,351,698,639			
ख) बचत बैंक	2,286,549	26,781,474	क) अचल परिसंपतियों का क्रय	294,490	202,860
ग) बैंक जमा पर	21,203,844	384,251,469			
घ) स्टाफ ऋण पर प्राप्त ब्याज	18,925	231,045			
ङ) आयकर वापसी पर ब्याज	33,583,121	20,520,493			
V) अन्य आय			**V. राज्य सरकार को अतिरिक्त धनराशि/ऋणों की वापसी**	0	0
क) रा.रा.क्षे. प्रकाशनों पर बिक्री	0	1,125			
ख) आरटीआई शुल्क	410	640	**VI. ऋणों व अग्रिमों का भुगतान**		
ग) भर्ती के लिए आवेदन शुल्क	400	21,701	क) स्टाफ को विविध अग्रिम	698,537	799,964
घ) पुराने समाचार पत्र की बिक्री	2,545	0	ख) जीपीएफ से अग्रिम आहरण	3,261,809	5,207,499
ङ.) विविध प्राप्तियां	905	0	ग) प्रशिक्षण एवं सम्मेलन अग्रिम	0	472,426
VI) उधार ली गई राशि			**VII.अन्य भुगतान**		
क) (एडीबी) एशियाई विकास बैंक से ऋण	0	0	क) मूलधन की वापसी (एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋण)	1,000,797,659	679,157,964
ख) केएफडब्ल्यू (जर्मन द्विपक्षीय) से ऋण	0	0	ख) अतिरिक्त प्राप्तियों की वापसी	0	0
			ग) बयाना/सुरक्षा जमा	0	0
VII) अन्य प्राप्तियां			घ) ब्याज भुगतान पर टीडीएस कटौती	179,632,497	232,706,597
क) राज्य सरकारों द्वारा ऋण वापसी	5,070,761,233	4,507,503,633	ङ.) जीआईएस राशि का भुगतान	26,351	25,744
ख) ऋण पर अधिक वापसी		455,390	च) रा.रा.क्षे.यो.बो. द्वारा जमा कराय	6,542,502	8,466,176
ग) भुनाई गई सावधि जमा	2,369,400,000	10,200,000,000	छ) प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से वसूली	1,775,790	856,831
घ) पीएफ/एनपीएस/ईआरबी की परिपक्वता	175,360,052	547,642,464	ज) नई पेंशन योजना का भुगतान	811,106	1,157,537
ङ.) लाइसेंस फी	47,559	54,289	झ) आरटीआई		990
च) स्टाफ से अग्रिम की वसूली	329,085	546,070	ञ) अंशदान	141,732	0
छ) प्रतिनियुक्ति/कर्मचारियों से वसूली	1,638,632	866,997			
ज) जीआईएस धनराशि की वसूली/एलआईसी से प्राप्तियां	45,046	23,809			
झ) जीपीएफ अंशदान/अग्रिम/वापसी	6,180,016	6,177,644			
ङ.) एनपीएस वसूली	744,646	977,861	**VIII. अंतिम शेष राशि**		
ट) रा.रा.क्षे.यो.बो. द्वारा स्त्रोत पर कर कटौती	5,902,882	6,745,868	क) हाथ में रोकड / प्रीपेड कार्ड में		0
ठ) संगोष्ठी (सेमिनार) और प्रशिक्षण अग्रिम शुल्क की वाप	0	309,113	ख) बचत/सीए खाते में शेष	4,549,489	10,246,902,794
ड) स्टाफ कार के प्रयोग से संबंधित वसूली	7,700	7,000	ग) पीएफ बचत खाते में शेष	216,788	114,229
ढ) आयकर वापसी	394,830,227	124,366,687	घ) नकदी/उसके समकक्ष	0	520
ण) बयाना/सुरक्षा जमा		2,000			
योग	**12,071,210,860**	**22,845,235,442**		**12,071,210,860**	**22,845,235,442**

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह/-
सदस्य सचिव

अनुसूची 1

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.03.2021 के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपये में)

	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
रा.रा.क्षे.यो.बो. निधि (कोष/पूंजी निधि)		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**55,631,038,751**	**52,018,633,411**
जोड़ें: आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय से अंशदान	350,000,000	500,000,000
जोड़ें: व्यय पर निवल आय से अंतरण	3,512,827,722	3,112,405,340
जोड़ें: बी आर आर से अंतरित	0	0
वर्ष समाप्ति पर शेष	**59,493,866,473**	**55,631,038,751**

अनुसूची-2

(राशि रुपये में)

	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
विशेष आरक्षित		
1. बॉन्ड रिडम्प्शन रिजर्व	**0**	0
वर्ष समाप्ति पर शेष	**0**	**0**

ह./-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्र. एवं वित्त)

ह/-
सदस्य सचिव

अनुसूची-3

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपये में)

निर्धारित (ऐडॉमेन्ट) निधि	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
(क) आरआरटीएस कॉरिडोर की डीपीआर तैयार करने हेतु अध्ययन के लिए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से अनुदान		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	1,400	1,400
जोड़ें: वर्ष के दौरान आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	-	-
उप कुल	**1,400**	**1,400**
(ख) आरआरटीएस अध्ययन हेतु किए गए व्यय/उपयोग		
- परामर्शदाता को आरआरटीएस अध्ययन हेतु दिया गया शुल्क	-	-
वर्ष समाप्ति पर निवल शेष (क - ख)	**1,400**	**1,400**

अनुसूची-4

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपये में)

सुरक्षित ऋण तथा उधार	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से ऋण	3,891,606,109	0
ख) केएफडब्ल्यू (जर्मन द्विपक्षीय एजेंसी) से ऋण	5,165,939,999	0
कुल	**9,057,546,108**	**0**

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची-5

गैर-जमानती ऋण और उधार	वर्तमान साल	पूर्ववर्ती वर्ष
क) एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से ऋण	अनुसूची 4 मे अंतरित	4,110,281,994
ख) केएफडब्ल्यू (जर्मन द्विपक्षीय एजेंसी) से ऋण	अनुसूची 4 मे अंतरित	5,813,471,999
कुल	**0**	**9,923,753,993**

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्र. एवं वित्त)

ह/-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपये में)

	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
<u>वर्तमान देयताएं या प्रावधान</u>		
सांविधिक देयताएं :		
1. सामान्य भविष्य निधि	53,361,214	46,553,115
2. जीआईएस निधि	2,055	2,176
3. प्रतिनियुक्त कर्मचारी से वसूली	141,000	278,890
4. स्रोत पर कर कटौती	574,625	821,745
5. एनपीएस बोर्ड का योगदान	962,825	602,760
उप योग	**55,041,719**	**48,258,686**
उधार पर उपार्जित ब्याज परंतु देय नहीं:		
1. एडीबी ऋण पर ब्याज जमा	3,469,237	15,473,743
2. केएफडब्ल्यू (जर्मन बैंक) से ऋण पर जमा ब्याज	24,290,680	25,839,829
उप योग	**27,759,917**	**41,313,572**
अन्य वर्तमान देयताएं:		
1. देय खर्चे	6,443,370	5,897,492
2. राज्य सरकार/एजेंसियों को ऋण के विरूद्ध अधिक प्राप्तियां	3,419,670	3,419,670
3. अग्रिम ब्याज प्राप्ति	94,931	122,055
उप योग	**9,957,971**	**9,439,217**
प्रावधान:		
<u>1. कर्मचारियों के सेवानिवृति लाभों हेतु</u>		
क) ग्रेच्युटी	34,361,018	32,182,278
ख) पैंशन (वर्तमान)	7,262,535	6,802,038
ग) पैंशन (सेवानिवृत्त)	330,241,892	309,302,137
घ) संचित छुट्टी नकदीकरण	31,815,328	29,798,003
ड.) चिकित्सकीय लाभ (वर्तमान)	710,316	665,277
च) चिकित्सकीय लाभ (सेवानिवृत्त)	55,122,392	51,627,228
उप योग	**459,513,481**	**430,376,961**
2. रा.रा.क्षे.यो.बो. सेल हेतु देय व्यय का प्रावधान	49,484,737	55,536,859
उप योग	**49,484,737**	**55,536,859**
कुल योग	**601,757,825**	**584,925,295**

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्र. एवं वित्त)

ह/-
सदस्य सचिव

अनुसूची-7

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

(राशि रुपये में)

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार अचल संपतियों का विवरण

विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यह्रास					निवल ब्लॉक
	01.04.2020 को ह्रासित मूल्य	180 दिन पूर्व संवर्धन	180 दिन के बाद संवर्धन	वर्ष के दौरान कुल संवर्धन	वर्ष के दौरान विक्रय/हस्तांतरण	31.03.2021 को लागत	दर	वर्ष के प्रारंभ के अनुसार	वर्ष के दौरान संवर्धन	वर्ष की समाप्ति पर कुल योग	31.03.2021 को ह्रासित मूल्य	31.03.2020 को ह्रासित मूल्य
कार्यालय स्थान आईएचसी	3,015,911	-	-	-	0	3,015,911	10%	301,591	-	301,591	2,714,320	3,015,911
वाहन	717,710	-	-	-	0	717,710	15%	107,657	-	107,657	610,053	717,710
फर्नीचर/फिक्सचर	697,590	21,000	-	21,000	0	718,590	10%	69,759	2,100	71,859	646,731	697,590
कार्यालय उपकरण	727,765	97,592	36,398	133,990	0	861,755	15%	109,165	17,369	126,534	735,221	727,765
कंप्यूटर पेरीफेरल	655,852	-	139,500	139,500	0	795,352	40%	262,341	27,900	290,241	505,111	655,852
पुस्तकालय की पुस्तकें	29,496	396	224	620	0	30,116	40%	11,798	203	12,001	18,115	29,496
कुल	5,844,324	118,988	176,122	295,110	0	6,139,434		862,311	47,572	909,883	5,229,551	5,844,324
पूर्ववर्ती वर्ष	*5,844,324*	*194,656*	*334,411*	*529,067*	*0*	6,873,376		*924,698*	*104,354*	*1,029,052*	*5,844,324*	*6,344,309*

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्र. एवं वित्त)

ह/-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपये में)

	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
निवेश - अन्य		
(क) भविष्य निधि निवेश		
1. सरकारी प्रतिभूतियां	3,411,385	3,411,385
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (बैंक में एफडीआर)	47,963,460	41,908,900
3. अन्य		
भविष्य निधि निवेश पर जमा ब्याज	414,103	440,935
बचत खाते में जमा राशि	216,768	114,229
उप योग	**52,005,716**	**45,875,449**
(ख) सेवानिवृत्ति लाभ निधि		
बैंक में सावधि जमा	439,649,533	266,746,242
निवेश पर जमा ब्याज	6,900,296	10,605,760
उप योग	**446,549,829**	**277,352,002**
सकल योग	**498,555,545**	**323,227,451**

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपये में)

निवेश - योगदान	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
निवेश एनसीआरटीसी में योगदान	50,000,000	50,000,000
सकल योग	**50,000,000**	**50,000,000**

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्र. एवं वित्त)

ह/-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपये में)

	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि		
क. वर्तमान परिसंपत्तियां		
1. रा.रा.क्षे. पुस्तकों और प्रकाशनों का स्टॉक	249,277	249,858
2. भोजन सामग्री का स्टॉक	140,479	136,813
3. विविध देनदार:		
क) अशोध्य और संदिग्ध ऋण	360,000	98,361
उप योग	**749,756**	**485,032**
4. हाथ में नकद शेष	**0**	**0**
5. बैंक बैलेंस		
अनुसूचित बैंकों के पास		
- बचत खाता/चालू खाता	4,549,489	20,826,311
निवेश (एफडीआर)	15,097,417,541	10,226,076,483
	15,101,967,030	**10,246,902,794**
योग (क)	**15,102,716,786**	**10,247,387,826**
ख. ऋण, अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियां		
1. ऋण:		
क) स्टाफ को अग्रिम	**42,000**	**1,650**
ख) अन्य अग्रिम		
I) यात्रा अग्रिम	0	52,000
II) एलटीसी अग्रिम	0	0
III) विविध अग्रिम	55,123	131,159
उप योग	**55,123**	**183,159**
ग) राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसियां	**50,928,050,699**	**52,428,911,932**
2. वसूली योग्य अग्रिम व अन्य राशि		
क) पूर्वदत्त व्यय	15,276	20,726
ख) अग्रिम आयकर/वसूली योग्य टीडीएस (कर का निवल प्रावधान)	973,487,064	1,121,879,330
ग) सैमिनार/बैठक अग्रिम	0	207,689
घ) अन्य (एमटीएनएल और जीएमटी के पास जमानत)	12,648	12,648
ड.) प्राप्ति योग्य आरटीआई शुल्क (पी. ओ. द्वारा)	0	520
उप योग	**973,514,988**	**1,122,120,912**
3. उपार्जित आय		
क) सावधि जमा पर अर्जित किंतु अप्राप्य ब्याज	224,212,923	412,386,630
ख) कार्यान्वयन एजेंसियों व राज्यों को दिए ऋण पर अर्जित ब्याज	1,470,567,252	1,549,569,857
ग) स्टाफ ऋण पर अर्जित ब्याज	44,562	61,893
घ) बचत खाते पर अर्जित ब्याज	182,377	23,605
उप योग	**1,695,007,114**	**1,962,041,985**
कुल (ख)	**53,496,669,924**	**55,513,259,938**
कुल (क + ख)	**68,599,386,710**	**65,760,647,664**

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्र. एवं वित्त)

ह/-
सदस्य सचिव

अनुसूची-11

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि रुपये में)

	अर्जित ब्याज	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
	पूंजी		
1	**सावधि जमा पर:**		
क)	अनुसूचित बैंकों के पास	540,640,354	787,302,857
ख)	गैर-अनुसूचित बैंकों के पास	-	-
ग)	संस्थानों के पास	-	-
घ)	अन्य	-	-
2	**बचत खातों पर:**		
क)	अनुसूचित बैंकों के पास	2,445,321	17,990,591
ख)	गैर-अनुसूचित बैंकों के पास	-	-
ग)	डाकघर बचत खाते	-	-
घ)	अन्य	-	-
3	**ऋणों पर:**		
क)	राज्य सरकार/उनके अभिकरणों कार्यान्वयन (एजेंसियों) द्वारा प्राप्त ऋण पर ब्याज	3,504,648,507	3,424,855,946
ख)	कर्मचारियों/स्टाफ को दीर्घावधि ऋणों पर ब्याज	3,354	7,187
ग)	राज्य सरकार/उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों को ऋण को दंड स्वरूप ब्याज	105,432	-
घ)	आयकर वापसी पर ब्याज	33,583,122	20,520,493
	योग	**4,081,426,090**	**4,250,677,074**

अनुसूची-12

(राशि रुपये में)

	अन्य आय :	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
	पूंजी		
क)	विविध आय	-	-
ख)	अत्यधिक प्रावधान	1,729,703	5,859,486
ग)	अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अनुदान का प्रावधान	-	-
घ)	राज्यों और कार्यान्वयन एजेंसियों को दिए गए ऋण का पूर्व भुगतान शुल्क	-	-
ङ.)	भर्ती के लिए शुल्क	400	21,701
	उप योग	**1,730,103**	**5,881,187**
	आय		
च)	**पीएफ/एनपीएस/सेवानिवृत्ति लाभ के निवेश पर ब्याज**		
	पीएफ निवेशों पर ब्याज	2,595,884	548,991
	सेवानिवृत्ति निधि के निवेश पर ब्याज	12,399,758	25,340,071
	पीएफ के बचत खातों पर ब्याज	5,682	36,096
	एनपीएस बचत खातों पर ब्याज	-	-
छ)	भर्ती हेतु आवेदन शुल्क	-	-
ज)	स्टाफ कार के प्रयोग पर वसूली	8,400	7,700
झ)	आरटीआई शुल्क	410	(350)
ङ.)	विविध-आय	3,450	-
	उप योग	**15,013,584**	**25,932,508**
	कुल	**16,743,687**	**31,813,695**

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्र. एवं वित्त)

ह/-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि रुपये में)

स्थापना व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
पुंजी		
क) वेतन और मजदूरी (आंतरिक जमा से भुगतान)	8,373,986	10,202,834
अन्य		
ख) एनसीआर क्षेत्र प्रकोष्ठों पर व्यय का प्रावधान	47,410,583	43,519,326
उप योग	**55,784,569**	**53,722,160**
आय		
वेतन	29,591,298	27,851,453
भत्ते एवं बोनस	15,718,655	14,707,748
एनपीएस में योगदान	1,312,890	615,418
अन्य		
लीव सैलरी एवं पेंशन योगदान	0	0
जीपीएफ खाते पर ब्याज	3,473,817	3,426,805
भर्ती व्यय	66,872	1,088,606
सम्पदा निदेशालय को दिया गया लाइसेंस शुल्क	540,699	369,453
समाचार पत्र एवं आवधिक पुस्तकें	25,078	3,718
प्रावधान		
ग्रेच्युटी का प्रावधान	3,055,187	3,794,478
संचित अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	2,646,941	3,010,377
पेंशन (वर्तमान) का प्रावधान	6,793,279	6,584,900
पेंशन (सेवा निवृत्त) का प्रावधान	21,832,573	21,757,369
चिकित्सकीय लाभ (वर्तमान) का प्रावधान	92,021	876,563
चिकित्सकीय लाभ (सेवा निवृत्त) का प्रावधान	3,495,163	3,314,269
उप योग	**88,644,473**	**87,401,157**
कुल	**144,429,042**	**141,123,317**

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्र. एवं वित्त)

ह/-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि रुपये में)

अन्य प्रशासनिक व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
<u>पूंजी</u>		
एनसीआर पुस्तकें और प्रकाशन की लागत	0	0
अध्ययन और सर्वेक्षण	4,680,200	1,133,000
विज्ञापन और प्रचार	-	0
बोर्ड/अन्य बैठकों पर हुआ व्यय	693,729	6,819,718
लेखापरीक्षा शुल्क - एडीबी/केएफडब्ल्यू परियोजनाओं पर	-	0
संगोष्ठी और प्रशिक्षण	-	0
प्रोफेशनल शुल्क	4,005,180	3,521,191
यात्रा प्रभार (योजना)	34,760	102,069
हाउस कीपिंग सेवाएं	2,461,487	3,541,867
उप योग	**11,875,356**	**15,117,845**
<u>आय</u>		
विद्युत एवं जल प्रभार	998,798	200,220
सुरक्षा प्रभार	492,870	452,328
मरम्मत एवं रखरखाव	2,188,826	1,949,279
किराया, दर एवं कर	636,986	636,986
वाहनें चलाना व रखरखाव	432,122	388,384
डाक, टेलीफोन और संचार शुल्क	583,828	1,264,576
प्रिंटिंग व स्टेशनरी	547,562	615,941
यात्रा और वाहन व्यय	501,127	225,180
संगोष्ठी/कार्यशाला/बैठक पर व्यय	3,460	53,790
कानूनी शुल्क पर खर्च	1,377,499	1,983,678
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	1,232,639	94,400
आतिथ्य व्यय	354,857	715,576
प्रोफेशनल शुल्क	1,103,667	544,380
अन्य	176,867	182,619
उप योग	**10,631,108**	**9,307,337**
कुल	**22,506,464**	**24,425,182**

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्र. एवं वित्त)

ह/-
सदस्य सचिव

अनुसूची-15

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि रुपये में)

बाजार उधारी पर व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
पूंजी		
क) एनएसडीएल/सीडीएसएल को वार्षिक कस्टोडियल फीस	5,857	0
ख) एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋणों पर ब्याज	146,533,157	211,505,063
ग) एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋणों पर विनिमय दरों में अंतर	134,589,774	716,174,265
घ) भुगतान (डाक व अन्य) पर बैंक प्रभार	78,475	30,706
ङ.) एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋण पर गारंटी शुल्क	119,085,048	121,040,852
कुल	**400,292,311**	**1,048,750,886**

31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

अनुसूची-16

(राशि रुपये में)

पूर्व अवधि व्यय (निवल)	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) एनसीआर सेल पर व्यय	775,589	5,757,516
ख) पूर्व अवधि ब्याज समायोजित	65,869,532	0
ग) पूर्व अवधि ब्याज समायोजित (पीएफ)	(141,347)	0
कुल	**66,503,774**	**5,757,516**

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्र. एवं वित्त)

ह/-
सदस्य सचिव

अनुसूची 17

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

दिनांक 31.03.2021 के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में संलग्न महत्वपूर्ण लेखा प्रणाली नीतियां

1. **लेखा संविद**
   क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के वार्षिक लेखे ऐतिहासिक लागत पद्धति और प्रोद्भवन लेखा प्रणाली के आधार पर तैयार किए जाते हैं, जब तक नीचे वर्णित लेखा प्रणाली नीतियों में अन्यथा उल्लेख न किया गया हो ।
   ख) वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बोर्ड के लेखों को लेखा परीक्षा के प्रमुख निदेशालय, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के निर्देशानुसार केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए जारी लेखों के समान प्रारूप में बनाया गया है ।
   ग) वार्षिक लेखों में दर्शाए गए आंकड़ों को नज़दीकी मूल्य तक पूर्णांकित किया गया है ।
   घ) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अनुदान / सब्सिडी का लेखा प्राप्ति के आधार पर किया जाता है जहाँ अंशदान अनुदान रा. रा. क्षे. यो. बो. निधि में हस्तांतरित किया जाता है तथा अनुदान सहायता (सामान्य और वेतन) का उपयोग इसके निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है ।

2. **आय निर्धारण**
   क) सभी आय को प्रोद्भवन आधार पर लेखों में समाविशित किया गया है ।
   ख) पिछले वर्षो से संबंधित आय को अलग से पूर्व अवधि मदो में लिया गया है ।

3. **व्यय की मान्यता**
   क) सभी व्ययों को प्रोद्भवन आधार पर लिया गया है ।
   ख) सभी पूर्वावधि व्यय, अलग कर पूर्वावधि व्यय (मद) के अंतर्गत दिखाया गया है ।

4. **अचल परिसंपत्ति**
   क) अचल परिसंपत्ति मूल्यह्रास घटाने के पश्चात हासिल मूल्य पर बताई गई है ।
   ख) वर्ष के दौरान किसी भी संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया ।

5. अचल परिसंपत्तियो पर **मूल्यह्रास** आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्धारित दर के अनुसार ह्रासित मूल्य पद्धति से प्रभारित किया गया है । मूल्यह्रास आय-व्यय लेखा में प्राधारित किया गया है । मूल्यह्रास की दर अनुसूची 7 में दर्शाई गई है ।

6. सेवा निवृति लाभ

क) बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, बीमांकिक आधार पर रा. रा. क्षे. यो. बो. कर्मचारियों सेवा निवृत व उनके आश्रितों के संबंध में सेवानिवृति लाभ अर्थात अर्जित अवकाश नकदीकरण, ग्रेच्युटी और पेंशन तथा चिकित्सा सुविधाओं/लाभ के लिए आवश्यक प्रावधान आय-व्यय लेखों के साथ तुलन पत्र में भी किए गए हैं। वार्षिक प्रावधान बोर्ड के आंतरिक उपार्जन से तैयार किए जाते हैं।

ख) बोर्ड सामान्य भविष्य निधि लेखे का रखरखाव कर रहा है जिसे पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। संगत वर्ष में भविष्य निधि संबंधी ब्याज की देनदारी राजस्व में प्रभारित की गई है और बोर्ड के भविष्य निधि खाते मे अंतरित की गई है।

ग) नई पेंशन योजना निधि: सरकार ने 01.04.2004 से केंद्र सरकार की सेवा में नयी भर्ती वालो के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) शुरू की है। इसके तहत कर्मचारी द्वारा वेतन और महंगाई भत्ते का 10% मासिक अंशदान करना होता है। इतना ही अंशदान केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तदनुसार, नई पेंशन योजना निधि का सृजन, राष्ट्रीयकृत बैंक में, मासिक अंशदान को रखते हुए उन कर्मचारियों के संबंध में किया गया है जिनकी नियुक्ति बोर्ड में 01.01.2004 के पश्चात हुई है । व्यय विभाग, वित् मंत्रालय ने दिनांक 17.08.2009 के का.ज्ञा. द्वारा अनुदेश जारी किए थे कि एनपीएस (NPS) की परिधि में आने वाले सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से नेशनल सिक्योरिटी डेपोसिट्री लिमिटेड, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, मुंबई में पंजीकृत किया जाए। इसके अनुपालन में सितम्बर, 2009 में एनएसडीएल में आवश्यक पंजीकरण करवाया गया। एनएसडीएल द्वारा जारी अनुदेश के अनुसार एनपीएस की परिधि में आए बोर्ड के कर्मचारियों के संबंध में वर्ष 2009-10 के दौरान एनपीएस निधियाँ एनएसडीएल, सीआरए मुंबई को अंतरित की गई है ।

बोर्ड कर्मचारियों से वसूले गए मासिक अंशदान और बोर्ड द्वारा इसके बराबर की राशि एनएसडीएल, सीआरए, मुंबई को भेज रहा है । बोर्ड कर्मचारियों के संबंध में एनपीएस निधि का रख-रखाव अब एनएसडीएल, सीआरए, मुंबई द्वारा किया जा रहा है ।

जैसा कि लेखा परीक्षक के साथ चर्चा की गई, एनपीएस नियोक्ता योगदान के लेखों में 01.04.2019 से 31.03.2021 तक ₹6,27,016/- यानि @4% (14% से 10%) की दर से प्रावधान किया गया है तथा वर्ष के दौरान ₹3,37,197/- के पूर्व प्रावधान के साथ वापस लिखा गया ।

घ) सामूहिक बीमा देनदारियां

वर्ष 2005-06 के दौरान बोर्ड ने एलआईसी के साथ सामूहिक बीमा योजना नामक एक पॉलिसी ली ताकि किसी भी तरह की देयता को उत्पन्न होते ही पूरा किया जा सके। बोर्ड अपने कर्मचारियों के वेतन से आवश्यक कटौती कर के हर माह एलआईसी को भेजता है। कर्मचारियों के सेवानिवृति और इस्तीफे पर उनके दावों को अग्रेषित किया जाता है, जिससे पॉलिसी के तहत ब्याज सहित बचत लाभ एवं बीमा कवर जहां कही भी लागू हो, का भुगतान किया जा सके ।

7. इंवेंटरी

क) एनसीआर पुस्तके एवं प्रकाशन: बेचीं गई और मानार्थ प्रति के रूप में निशुल्क वितरित की गई एनसीआर पुस्तकों एवं प्रकाशनों की लागत आय-व्यय लेखा में प्रभारित की जाती है तथा

पुस्तकों के क्रय से प्राप्त राशि को एनसीआर पुस्तकों और प्रकाशनों से प्राप्त आय के रूप में दर्शाया गया है। वित्त वर्ष की समाप्ति पर अनबिकी पुस्तकों के स्टॉक का लागत मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है और तुलनपत्र में दर्शाया जाता है ।

ख) वित्त वर्ष की समाप्ति पर शेष स्टेशनरी का लागत मूल्य पर मूल्यांकन तुलनपत्र में दर्शाया जाता है ।

8. अध्ययन एवं सर्वेक्षण

अध्ययनो एवं सर्वेक्षणो पर होने वाले सभी व्यय (निर्धारित निधि से किए गए अध्ययन व्ययो को छोड़कर) आय एवं व्यय लेखा में प्रभारित किए जाते हैं ।

9. निर्धारित/ एडोमेन्ट निधि

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (भूतपूर्व शहरी विकास मंत्रालय) ने अपने पत्र दिनांक 09.03.2010 द्वारा रा.रा.क्षे.यो.बो. के प्रस्ताव का अनुमोदन किया कि आरआरटीएस के तीन कॉरिडोर के डीपीआर बनाने हेतु अध्ययन का वित्त पोषण अर्बन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग के अंतर्गत मंत्रालय की निधि से किया जाएगा। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (शहरी विकास मंत्रालय) से आरआरटीएस की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने के लिए अनुदान रूप में प्राप्त निधि को अलग से निर्धारित निधि के अंतर्गत दिखाया गया है ।

10. एनसीआर योजना और निगरानी प्रकोष्ठ:

बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, सभी एनसीआर सेल द्वारा प्रस्तुत दावों के सत्यापन के बाद सभी 4 एनसीआर सेल को निर्धारित सीलिंग के अनुसार कार्यालय के आवर्ती खर्चो तथा वेतन और भत्ते के भुगतान की सभी लागतों की प्रतिपूर्ति रा.रा.क्षे.यो.बो. द्वारा संबंधित राज्य सरकार को की जाती है। ये दावे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद बोर्ड को प्रस्तुत किए जाते हैं और वित्तीय वर्ष के लेखों में उचित प्रावधान किया जा रहा है तथा अगर ये दावे वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद प्राप्त हुए तो इसके लिए संबंधित एनसीआर सेल को पूर्व में किए गए वास्तविक भुगतान के आधार पर प्रावधान किया जाता है। एनसीआर सेल के दावों की प्रतिपूर्ति की निरंतरता अगले 4 वर्षो तक यानि 31.03.2021 तक बोर्ड दवारा अपनी 04.12.2017 को संपन्न 37वीं बैठक में अनुमोदित की गई जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 08.01.2018 के पत्रांक जी-25020(1)/2003-04/NCRPB-Vol-V के द्वारा जारी की गई थी ।

11. आयकर

उपयुक्त आयकर प्राधिकरण अर्थात वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, आयकर महानिदेशक (छूट), नई दिल्ली के आदेश सं डीजीआइटी (ई)10(23सी)iv /2008 दिनांक 02.05.2008 के द्वारा वर्ष 2003-04 के बाद से रा.रा.क्षे.यो.बो., आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड 23 सी (iv) के उपखंड (iv) के अंतर्गत आयकर से छूट प्राप्त है। इसे देखते हुए बोर्ड के वार्षिक लेखों से आयकर का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

12. अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए अनुदान:

रा.रा.क्षे.यो.बो. दवारा दिनांक 22.03.2012 को संपन्न 32वीं बैठक में आनुमोदित किया गया- रा.रा.क्षे. तथा समसुविधा संपन्न क्षेत्रों में संस्वीकृत जल, सीवेरज तथा जल निकासी की परियोजनाओं की लागत का 15% तक बोर्ड अनुदान सहायता के रूप में प्रदान करेगा। जल, सीवेरज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेक्टर की सभी परियोजनाएँ जो पीएसएमजी (PSMG) दवारा 01.04.2012 तथा इसके बाद 46वीं बैठक (04.08.2011) के बाद स्वीकृत की गई, जिनमे 01.04.2012 तक ऋण राशि प्रदान नहीं की गई है अनुदान राशि पाने के योग्य हैं। यह अनुदान प्रतिपूर्ति के रूप में परियोजना के पूर्ण होने तथा ऋण की अनुबंधित शर्तो को पूरा करने पर प्रदान किया जाएगा। तदनुसार, आय और व्यय खाते में 2011-12 से 2016-17 के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए थे। क्योंकि कोई भी कार्यान्वन निकाय शर्तो को पूरा नहीं कर पाया इसलिए अनुदान जारी नहीं किया गया। इस कारण व्यय को अनुसूची 18 में आकस्मिक देयता के तहत दिखाया गया है।

13. बाह्य मुद्रा में लेनदेन

बाह्य मुद्रा में हुए लेनदेन की दिनांक की विनिमय दरों के अनुसार किया जाता है । बाह्य मुद्रा में लिए गए ऋण जैसे एडीबी से अमेरिकी डॉलर तथा केएफडब्ल्यू से यूरो में लिए गए ऋण को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दरो के अनुसार परिवर्तित किया है तथा परिणामस्वरूप लाभ / हानि में आय / व्यय को प्रभावित किया गया है ।

ह/-	ह/-	ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी	निदेशक (प्र एवं वित्त)	सदस्य सचिव

दिनांक: 14 जुलाई, 2021
स्थान: नई दिल्ली

अनुसूची 18

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में संलग्न लेखों पर टिप्पणियाँ तथा आकस्मिक देनदारियाँ :-

1. आकस्मिक देनदारियाँ

अनुसूची-17 के पैरा 12 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ₹4.68/- करोड़ की आकस्मिक देनदारियों का आकलन किया गया, जो कि अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति पर ही देय है। चूंकि, इस तरह की कोई भी परियोजना अनुदान के लिए पात्र होने के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं कर पाई, इसलिए वित्त वर्ष 2020-21 में परियोजनाओं के लिए कोई अनुदान राशि जारी नहीं की गई थी, अत: ₹4.68 करोड़ को आकस्मिक देयता में से हटा दिया गया था।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, किसी भी प्रासंगिक परियोजना के गैर-पात्रता के कारण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (पानी और स्वच्छता) के लिए अनुदान के लिए किसी भी नए आकस्मिक दायित्व का आकलन नहीं किया गया है। हालांकि, सीएमए पटियाला में 208.33 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली एक सीवरेज परियोजना को 2020-21 के दौरान मंजूरी दी गई है और इसके अस्थायी अनुदान घटक (यानी आकस्मिक देयता) 31.25 करोड़ रुपये 2022-23 में परियोजना के पूरा होने पर पात्र होंगे, जैसा भी मामला हो।

2. **पूर्व अवधि व्यय:**

वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग की टिप्पणियों के अनुसार, अलग ऑडिट रिपोर्ट नंबर-DD-II/वार्षिक A/c. NCRPB10-3/2012-13/489 दिनांक 10.10.2013 के अनुपालन मे, पूर्व-अवधि मदें आय और व्यय खातों में लाइन के नीचे अलग से दिखाई गई है। वर्ष के दौरान किए गए लेन-देन का विवरण निम्नानुसार है:

क) वित्त वर्ष 2019-20 में एनसीआर सेलों पर किए गए प्रावधान से अधिक राशि का भुगतान किया गया है, जिसे वित्त वर्ष 2020-21 की अनुसूची-16 में पूर्व-अवधि व्यय के मद में लिया गया है।

राजस्थान सेल - ₹7,75,589/-

ख) वर्ष 2020-21 के दौरान, ₹6,58,69,532/- का समायोजन पिछले वर्ष की फ्लेक्सी एफडी में मान्यता प्राप्त अतिरिक्त आय के प्रत्यावर्तन के कारण किया गया है, जैसा कि पूर्व-अवधि की मदों (अनुसूची-16) में दिखाया गया है। .

ग) वर्ष 2020-21 के दौरान, ₹1,41,347/- के लिए समायोजन/बुकिंग पिछले वर्ष (एस) सीपीएफ/जीपीएफ निवेश/ब्याज में मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण की गई है जैसा कि पूर्व-अवधि की मदों में दिखाया गया है (अनुसूची-16)।

3. एनसीआर नियोजन एवं निगरानी सेल:

क) बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, संबंधित एनसीआर सेल/ राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत दावों के सत्यापन के बाद एनसीआर सेल पर खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति बोर्ड कार्यालय द्वारा की जाती है। चूंकि, वित्तीय वर्ष के समापन और वार्षिक खातों को अंतिम रूप देने के बाद बोर्ड को दावे प्रस्तुत किए जाते हैं, इसलिए एनसीआर प्रकोष्ठों से प्राप्त पिछले दावों/भुगतान के आधार पर वार्षिक खाते में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। तदनुसार, 31.3.2021 तक देय वार्षिक राशि के साथ संलग्न तुलनपत्र की अनुसूची-6 में 31.3.2021 तक देय एनसीआर सेल के खर्च के लिए ₹4,94,84,737/- का प्रावधान किया गया है।

ख) वर्ष 2020-21 के दौरान, लेखों के माध्यम से निम्नलिखित समायोजन पारित किए गए:

(i) **हरियाणा सेल:** वर्ष 2019-20 के लिए हरियाणा सेल को देय खर्चों का प्रावधान ₹1,40,20,303/- था, लेकिन इसके विरुद्ध, ₹1,32,36,557/- का वास्तविक भुगतान किया गया। तदनुसार, ₹7,83,746/- की राशि को वापस लिखा गया।

(ii) **उत्तर प्रदेश सेल:** वर्ष 2019-20 के लिए उत्तर प्रदेश सेल को देय व्यय का प्रावधान ₹2,40,35,066/- था, जिसके विरुद्ध, चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 2,34,31,794/- (2018-19 और 2019-20 के लिए) का भुगतान किया गया। तदनुसार, ₹6,03,272/- को वापस ले लिया गया है।

(iii) **राजस्थान सेल:** राजस्थान सेल को देय व्यय के लिए वर्ष 2019-20 मे ₹1,54,07,336/- का प्रावधान किया गया परंतु इसके विरुद्ध वर्तमान वित्त वर्ष 2020-21 में ₹1,61,82,925/- की राशि का वास्तविक भुगतान किया गया। तदनुसार, ₹7,75,589/- पूर्व-अवधि मद अनुसूची-16 मे प्रभारित किया गया है।

(iv) **दिल्ली सेल:** दिल्ली सेल को देय व्यय के लिए वर्ष 2019-20 मे ₹20,74,154/- का प्रावधान किया गया था जिसके विरुद्ध वर्तमान वित्त वर्ष 2020-21 मे कोई भुगतान नही किया गया है क्योकि पद रिक्त होने के कारण दिल्ली सेल से कोई दावा प्राप्त नही हुआ है। अत: सीएजी टीम के सुझाव पर ₹63,35,746/- 31.3.2021 तक का प्रावधान किया गया है।

(ग) वित्त वर्ष 2020-21 में निम्न रूप से एनसीआर सेल व्यय के लिए ₹4,94,84,737/- का प्रावधान किया गया है तथा उसे आय एवं व्यय खाते मे प्रभारित किया गया है :

राजस्थान	-	₹1,61,82,925.00
उ.प्र.	-	₹1,37,29,509.00
हरियाणा	-	₹1,32,36,557.00
दिल्ली	-	₹63,35,746.00
कुल	-	**₹4,94,84,737.00**

दिनांक 31.3.2021 को समाप्त वर्ष हेतु वार्षिक लेखों की अनुसूची-6 के अनुसार एनसीआर सेलों को 31.3.2021 तक देय व्यय का कुल प्रावधान ₹4,94,84,737/- किया गया है ।

4. आयकर:

बोर्ड की आय को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23सी)(iv)के अंतर्गत कर-निर्धारण वर्ष 2003-04 से दिनांक 02.05.2008 के आयकर आदेश के तहत आयकर से छूट प्राप्त है। इसे ध्यान मे रखते हुये वर्ष 2020-21 में बोर्ड के वार्षिक लेखों मे आयकर का कोई प्रावधान नही किया गया। तथापि, वर्ष 2020-21 के लिये उधारकर्ता-अभिकार्यों (एजेंसियो)/बैंकों ने वर्ष के दौरान बोर्ड को दिए गए ब्याज भुगतान पर ₹24,66,14,753/- का टी.डी.एस. काटा है। इस राशि में दिनांक 31.03.2020 तक, बैंकों द्वारा निवेशों पर काटा गया टीडीएस ₹4,15,25,188/- तथा ₹20,50,89,565/- (पिछले वर्ष से संबंधित ₹89,26,733/- सहित) रा.रा.क्षे.यो.बो. से ली गई वित्तीय सहायता पर ब्याज भुगतान पर भागीदार राज्यों और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कटौती की गई। अत: ₹24,66,14,753/- की राशि को गत वर्ष के शेष मे जोड़ दिया गया जो कि ₹1,12,18,79,330/- हो गई। साथ ही ₹39,50,07,020/- की कटौती प्राप्त हुई। तदनुसार, संलग्न अनुसूची-10 में शीर्ष "अग्रिम और अन्य वसूली योग्य राशि" के तहत ₹97,34,87,064/- दर्शाया गया है।

5. बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय एजेंसियों से उधार:

(क) <u>एशियाई विकास बैंक:</u> दिनांक 31.3.2021 की स्थिति के अनुसार, एडीबी से उठाए गए बकाया ऋण/उधार रिपोर्टिंग मुद्रा में 52.94 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹399.34 करोड़) था। 2020-21 के दौरान एक्सचेंज रेट वैरिएशन पर ₹10.18 करोड़ का लाभ, बकाया ऋण पर "बाजार उधार पर व्यय" के तहत दिखाया गया है और आय एवं व्यय खाते में प्रभारित किया गया है। तदनुसार, एडीबी ऋण का कुल बकाया मूल्यांकन ₹389.16 करोड़ है, जिसमें अनुसूची 4 में दर्शायी गई ₹86.0404 करोड़ की संचित विनिमय दर भिन्नता हानि (डॉलर बनाम रूपया) शामिल है।

(ख) <u>के.एफ.इब्ल्यू. (जर्मन द्विपक्षीय एजेंसी):</u> दिनांक 31.3.2021 की स्थिति के अनुसार, के.एफ.डब्ल्यू. से उठाए गए बकाया ऋण/उधार 31.3.2021 को लागू प्रचलित दर के अनुसार रिपोर्टिंग मुद्रा में €60.00 मिलियन (₹492.95 करोड़) था। 2020-21 के दौरान एक्सचेंज रेट वैरिएशन पर ₹23.64 करोड़ की हानि, बकाया ऋण पर, "बाजार उधार पर व्यय" के तहत दिखाया गया है व आय और व्यय खाते में प्रभारित किया गया है। तदनुसार, केएफडब्ल्यू ऋण का कुल बकाया मूल्यांकन, ₹516.59 करोड़ दिखाया गया, जिसमें अनुसूची 4 में ₹95.5268 करोड़ की संचित विनिमय दर भिन्नता हानि (यूरो बनाम रूपया) शामिल है।

6. स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय – पूंजी/योजना एवं आय/गैर योजना

अनुसूची 13 में स्थापना व्यय (पूंजी) शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए ₹83,59,841/- बोर्ड के आंतरिक उपार्जन से वर्ष 2020-21 के दौरान, बोर्ड के 10 कर्मचारियों को दिए गए वेतन के सम्बंध में है। ये 5 पद वर्ष 1998-99 में सरकार द्वारा सृजित/स्वीकृत किए गए थे तथा इन पदों के लिए बोर्ड के आंतरिक जमा से व्यय किया जाता है। इसके अतिरिक्त 5 अस्थाई पद आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के पत्र दिनांकित 27.01.2011 के द्वारा परियोजना प्रबंधन इकाई (प्रोजेक्ट विंग) के लिए सृजित किए गए है जिनके लिए बोर्ड की आंतरिक आय से व्यय किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार, बोर्ड कार्यालय वार्षिक लेखों में दर्शाए अनुसार वर्ष 1999-2000 से इस व्यय को अपने आंतरिक उपार्जन से जमा कर रहा है तथा इसे आय-व्यय (पून्जी/योजना) में दर्शाया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा आय/गैर योजनागत शीर्ष के अंतर्गत स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय के लिए दिए गए बजट समर्थन के अलावा बोर्ड अपने आंतरिक प्रोद्भवन से सभी खर्च पूर्ण करता है।

7. **निवेश:** ईक्विटी एनसीआर परिवहन निगम लि. में योगदान

एनसीआर परिवहन निगम के गठन के लिए कैबिनेट नोट को दिनांक 11.07.2013 को मंजूरी दी गई। दिनांक 01.08.2013 को संस्थापन प्रलेख और संस्था के अंतर्नियम हस्ताक्षरित किए गए और एनसीआरटीसी लिमिटेड को 21.08.2013 को निगमित किया गया। इसके अलावा, बोर्ड की 34वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि कार्यान्वयन से संबंधित सभी मुद्दों, आरआरटीएस परियोजनाओं के संरेखण सहित एनसीआरटीसी द्वारा देखे जायेंगे। एनसीआरटीसी, ₹100 करोड़ के प्रारंम्भिक कोष के साथ, आरआरटीएस कोरीडोर के डिजाइन, वित्त पोषण और कार्यान्वयन का स्वामित्व रखता है तथा इस प्रारंम्भिक कोष में निम्नलिखित अंशदान दिए जाने है :-

क्रम सं	इकाई/प्रमोटरों की प्रकृति	एनसीआरटीसी में हिस्सा(%)	रकम (करोड़ ₹ में)
1.	शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार	22.50%	22.50
2.	रेल मंत्रालय, भारत सरकार	22.50%	22.50
3.	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार	12.50%	12.50
4.	उत्तर प्रदेश सरकार	12.50%	12.50
5.	हरियाणा सरकार	12.50%	12.50
6.	राजस्थान सरकार	12.50%	12.50
7.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	5.00%	5.00
	कुल	**100.00%**	**100.00**

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड ने एन.सी.आर. ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ₹5.00 करोड़ की इक्विटी शेयर में निवेश किया है जिसके अनुरूप एनसीआर परिवहन निगम लिमिटेड ₹100 प्रत्येक मूल्य के 5,00,000 शेयर प्रमाण पत्र जारी किए हैं जो कि विशिष्ट प्रमाण पत्र संख्या 3 और 10 विशिष्ट संख्या के अनुसार 2501 से 2750 अर्थात

250 इकाइयाँ और विशिष्ट संख्या 1754001 से 2253750 अर्थात् 499750 इकाइयाँ, जो की सदस्य सचिव रा.रा.क्षे.योजना बोर्ड या निदेशक एन.सी.आर.टी.सी. के पक्ष में जारी हैं।

8. 31.3.2021 के अनुसार राज्य सरकार को जारी ऋण/अग्रिमों की बकाया राशि ₹50,82,80,50,699/- है जो अनुसूची-10 में दर्शाई गई है:

राज्य	रकम (₹ करोड़ मे)
राजस्थान उपक्षेत्र & सीएमए	1951.48
उत्तर प्रदेश उपक्षेत्र	2070.39
हरियाणा उपक्षेत्र	1020.79
दिल्ली	8.89
सीएमए पटियाला	31.26
कुल	**5082.81**

9. खराब और संदिग्ध ऋण:

क) ₹3,60,000/- (31.3.2020 तक के लिए ₹98,361/- सहित) को "खराब और संदिग्ध ऋण (प्रावधान)" के तहत दिखाया गया है, जो कई वर्षों से अप्राप्य हो रहे हैं, जैसा कि सीएजी की लेखापरीक्षा टीम के साथ चर्चा की गई ।

10. आय एवं व्यय खाते तथा बैलेंस शीट में चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए पिछले वर्ष के आंकडें, जहां आवश्यक हो, पुन: समूहबद्ध/पुर्नव्यवस्थित किए गए है ।

ह/-	ह/-	ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी	निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)	सदस्य सचिव

दिनांक : 14 जुलाई, **2021**
स्थान : नई दिल्ली